

संघ प्रदेश दमण एवं दीव की आपात प्रबंधन योजना

पुस्तक - II

प्रस्तावना

दमण और दीव के विभिन्न हिस्से बाढ़, चक्रवात तूफान, भूकंप, सुनामी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाते हैं। इन प्राकृतिक खतरों के अलावा आगजनी, औद्योगिक दुर्घटनाओं, आतंकवादी हमलों आदि जैसी मानव निर्मित आपदाओं की भी संभावना है।

दमण और दीव एक छोटा संघ शासित प्रदेश है जिसमें केवल 02 जिले हैं। संघ प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है जिसमें लगभग 2.42 लाख आबादी है, जिनमें से 75.16% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तथा इसका जनसंख्या घनत्व 2169 प्रति वर्ग किलोमीटर है।

प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में यह संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना, दमण और दीव तैयार की गई है। यह योजना बहु-जोखिम अतिसंवेदनशील आपदाओं से निपटने के लिए उपयोगी होनी चाहिए और हमेशा बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, अधिक जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरणीय दुर्दशा, जलवायु परिवर्तन, संघ प्रदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सतत विकास जैसे कारकों पर आधारित होना चाहिए।

योजना का ढांचा आपदा प्रबंधन में एक राहत केंद्रित दृष्टिकोण से आदर्श परिवर्तन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत तत्परता, रोकथाम और शमन का महत्व अपेक्षित है। टीम ने राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

इस योजना के दस्तावेज दो खंडों में समाहित है। पुस्तक-1 में आपदा प्रबंधन का विवरण तथा जोखिम मूल्यांकन एवं जोखिम विश्लेषण पर एक अध्याय शामिल है । पुस्तक ॥ में सभी अनुलग्नक शामिल हैं ।

विषय - सूची

अनुलग्नक : 1	संघ प्रदेश दमन एवं दीव आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना।	4
अनुलग्नक : 2	संघ प्रदेश दमण एवं दीव की कार्यकारी समिति की संरचना।	5
अनुलग्नक : 3	दमण जिले की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना।	6
अनुलग्नक : 4	दीव जिले की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना।	7
अनुलग्नक : 5	विभिन्न खतरों के लिए क्या करें और क्या न करें।	8 – 13
अनुलग्नक : 6	आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक टीम / कंपनी के लिए उपकरणों की सूची की तालिका ।	14
अनुलग्नक : 7	एक कंपनी के लिए प्रथम बचावकर्ताओं की चिकित्सा के लिए उपकरण।	15 – 21
अनुलग्नक : 8	एक कंपनी के लिए खोज और बचाव के लिए उपकरण	22 – 27
अनुलग्नक : 9	एक कंपनी के लिए अग्निशमन के लिए उपकरण।	28 – 31
अनुलग्नक : 10	एक कंपनी हेतु प्रथम बचावकर्ताओं के लिए आपातकालीन जोखिमपूर्ण सामग्री हेतु उपकरण ।	32 – 35
अनुलग्नक : 11	एक कंपनी के लिए प्रथम बचावकर्ताओं हेतु सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए उपकरण।	36 – 39
अनुलग्नक : 12	एक कंपनी के लिए बाढ़ बचाव हेतु उपकरण।	40 – 42
अनुलग्नक : 13	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से सहायता के लिए खर्च की वस्तुओं और मानदंडों की संशोधित सूची।	43 – 49
अनुलग्नक : 14	मौसम बुलेटिन में प्रयुक्त सामान्य शब्दावली।	50
अनुलग्नक : 15	बंदरगाह तूफान चेतावनी सिग्नल।	51 – 53
अनुलग्नक : 16	आपातकालीन संपर्क निर्देशिका।	54 – 62
अनुलग्नक : 17	ग्रंथ सूची।	63 - 64

अनुलग्नक : 1

संघ प्रदेश दमन एवं दीव आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना।

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

आपात प्रबंधन विभाग

समाहर्तालय, दमण

सं.समा/दमण-88/एसईसी-संप्र/2013/54

दिनांक: 05/04/2014

अधिसूचना

आपात प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 53) की धारा 2 की उपधारा (4) और खण्ड (S) के परंतुक के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली निम्नांकित को शामिल करते हुए एतद्वारा दमण एवं दीव आपात प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करते हैं।

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. प्रशासक | - अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 2. लोकसभा सदस्य | - सदस्य एवं उपाध्यक्ष |
| 3. विकास आयुक्त | - सदस्य |
| 4. वित्त सचिव | - सदस्य |
| 5. महा नि./उप महानिरीक्षक (पुलिस) | - सदस्य |
| 6. समाहर्ता, दमण | - सदस्य |
| 7. समाहर्ता, दीव | - सदस्य |
| 8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक | - सदस्य |
| 9. शिक्षा निदेशक | - सदस्य |
| 10. कमांडिंग आफिसर, तट-रक्षक | - सदस्य |

इसे पूर्व की अधिसूचना संख्या समा/दमण-88/एसईसी-संप्र/2013/5492 दिनांक 05/03/2014 तथा अधिसूचना संख्या 1/11/समा/दमण/ददजिप्रयो/04-05/7743 दिनांक 29/03/2005 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

प्रशासक दमण एवं दीव
तथा दानह के नाम एवं आदेशानुसार

(गौरव सिंह राजावत)
उप-सचिव (राजस्व),
दमण एवं दीव

सेवा में,

सभी संबंधित।

दमण एवं दीव के सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।

प्रतिलिपि :-

- (1) उप निदेशक, सरकारी मुद्रणालय, दमण को इस अधिसूचना को दमण एवं दीव के गजट में प्रकाशन के अनुरोध के साथ।
- (2) राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, दमण को इसे समाहर्तालय की आधिकारी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक- 2

संघ प्रदेश दमण एवं दीव की कार्यकारी समिति की संरचना।

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
आपात प्रबंधन विभाग
समाहर्तालय, दमण

सं.समा/दमण-88/एसईसी-संप्र/2013/55

दिनांक: 05/04/2014

अ धि सू च ना

आपात प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 53) की धारा 2 के खण्ड (S) के के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली निम्नांकित को शामिल करते हुए एतद्वारा **दमण एवं दीव कार्यकारी समिति** का गठन करते हैं ।

- | | |
|--|-----------|
| 1. प्रशासक | - अध्यक्ष |
| 2. विकास आयुक्त | - सदस्य |
| 3. वित्त सचिव | - सदस्य |
| 4. संघ प्रदेश प्रशासन के सचिव,
दो वरिष्ठतम सचिव | - सदस्य |

इसे पूर्व की अधिसूचना संख्या समा/दमण-88/एसईसी-संप्र/2013/5493 दिनांक 05/03/2014 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है ।

प्रशासक दमण एवं दीव
तथा दानह के नाम एवं आदेशानुसार

(गौरव सिंह राजावत)
उप-सचिव (राजस्व),
दमण एवं दीव

सेवा में,

सभी संबंधित ।

दमण एवं दीव के सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ।

प्रतिलिपि :-

- (1) उप निदेशक, सरकारी मुद्रणालय, दमण को इस अधिसूचना को दमण एवं दीव के गजट में प्रकाशन के अनुरोध के साथ ।
- (2) राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, दमण को इसे समाहर्तालय की आधिकारी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

अनुलग्नक- 3

दमण जिले की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना।

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
आपात प्रबंधन विभाग
समाहर्तालय, दमण

सं.समा/दमण-88/एसईसी-संप्र/2013/53

दिनांक: 05/04/2014

अधि सूचना

आपात प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 53) की धारा 2 के खण्ड (S) के के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली निम्नांकित को शामिल करते हुए एतद्वारा दमण जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन करते हैं ।

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. समाहर्ता | - अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष, जिला पंचायत | - सह-अध्यक्ष |
| 3. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद | - सदस्य |
| 4. पुलिस अधीक्षक | - सदस्य |
| 5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(स्वास्थ्य अधिकारी, दीव) | - सदस्य |
| 6. उप-समाहर्ता (मुख्यालय), दीव | - सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत | - सदस्य |
| 8. कार्यपालक अभियंता, लो.नि.वि. | - सदस्य |

इसे पूर्व की अधिसूचना संख्या समा/दमण-88/एसईसी-संप्र/2013/5494 दिनांक 05/03/2014 तथा अधिसूचना संख्या 1/14/समा/दमण/ददजिप्रयो/04-05/1336 दिनांक 19/07/2005 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है ।

प्रशासक दमण एवं दीव
तथा दानह के नाम एवं आदेशानुसार

(गौरव सिंह राजावत)
उप-सचिव (राजस्व),
दमण एवं दीव

सेवा में,

सभी संबंधित ।

दमण एवं दीव के सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ।

प्रतिलिपि :-

- (1) उप निदेशक, सरकारी मुद्रणालय, दमण को इस अधिसूचना को दमण एवं दीव के गजट में प्रकाशन के अनुरोध के साथ ।
- (2) राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, दमण को इसे समाहर्तालय की आधिकारी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

अनुलग्नक- 4

दीव जिले की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना।

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
आपात प्रबंधन विभाग
समाहर्तालय, दमण

सं.समा/दमण-88/एसईसी-संप्र/2013/52

दिनांक: 05/04/2014

अ धि सू च ना

आपात प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 53) की धारा 2 के खण्ड (S) के के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली निम्नांकित को शामिल करते हुए एतद्वारा दीव जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन करते हैं ।

1. समाहर्ता - अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, जिला पंचायत - सह-अध्यक्ष
3. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद - सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक - सदस्य
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य
(उप-निदेशक चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवा, दमण)
6. उप-समाहर्ता (मुख्यालय), दमण - सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य
8. कार्यपालक अभियंता - सदस्य

इसे पूर्व की अधिसूचना संख्या समा/दमण-88/एसईसी-संप्र/2013/5494 दिनांक 05/03/2014 तथा अधिसूचना संख्या समा/दीव/आ.प्र./प्रशा/42 दिनांक 04/04/2000 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है ।

प्रशासक दमण एवं दीव
तथा दानह के नाम एवं आदेशानुसार

(गौरव सिंह राजावत)
उप-सचिव (राजस्व),
दमण एवं दीव

सेवा में,

सभी संबंधित

दमण एवं दीव के सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि :-

- (1) उप निदेशक, सरकारी मुद्रणालय, दमण को इस अधिसूचना को दमण एवं दीव के गजट में प्रकाशन के अनुरोध के साथ ।
- (2) राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, दमण को इसे समाहर्तालय की आधिकारी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

अनुलग्नक : 5

विभिन्न खतरों के लिए क्या करें और न क्या करें

चक्रवात से सुरक्षा:

चक्रवात से पहले और इसके दौरान क्या करें

- चक्रवात के मौसम शुरू होने से पहले अपने घरों की जांच करें और जो भी मरम्मत की जरूरत है उसे पूरा करें।
- बच्चों से बात करें और उन्हें बिना डराए चक्रवात के बारे में समझाएं।
- पारिवारिक सदस्यों के साथ चक्रवाती तूफान के प्रभावों पर चर्चा करके तूफान के बारे में जागरूकता पैदा करें ताकि सभी यह जाने कि आपातकाल में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। यह भय और चिंता को दूर करने में मदद करता है और हर किसी को आपात स्थिति का जवाब देने के लिए तैयार करता है।
- अपने कीमती सामान और दस्तावेजों को कंटेनर में रखें, जो पानी से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते हैं।
- अपने रक्त समूह के बारे में जानकारी रखें।
- केरोसिन से भरे लालटेन, मशालों और अतिरिक्त बैटरियाँ रखें। इन्हें सुरक्षित स्थानों और तैयार स्थिति में रखा जाना चाहिए।
- बीमार, विकलांगता से ग्रसित लोगों, वयोवृद्ध व्यक्तियों और बच्चों के लिए योजना बनायें ।
- कम से कम सात दिन के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं, दवाइयों और जल आपूर्ति के स्टॉक का भण्डारण करें।
- बिस्तर बनाने के लिए कंबल और कपड़े तैयार रखें। रुई की पट्टियां भी रखें।
- कुछ लकड़ी के बोर्डों को स्टोर करें ताकि खिड़कियों को सुरक्षित करने के लिए उनका उपयोग किया जा सके।
- • पेड़ों और झाड़ियों की कटाई करें । उन्हें हवा का सामना करने और क्षति की संभावना को कम करने के लिए पेड़ की क्षतिग्रस्त डालियों और जीर्ण भागों को हटा दें। कमजोर डालियों को काट दें और हवा को उनसे बहने दें ।
- सभी दरवाजे, खिड़कियां और खुले हिस्से को सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- चेतावनी बुलेटिन को सुनते रहें और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रहें। रेडियों सैटों को चालू स्थिति में रखें । बैटरी द्वारा चालित रेडियों अपेक्षित हैं ।
- बताये जाने पर लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाएँ।
- अपनी संपत्तियों की सुरक्षा हेतु उपाय करें
- ढके हुए वर्तनों में अतिरिक्त पेयजल का भण्डारण करें ।
- शांति बनाए रखें

चक्रवात के समय क्या न करें

- तूफान के दौरान जब तक बाहर निकलने की सलाह नहीं दी जाती है जब तक बाहर न निकलें ।
- यदि आपके पास वाहन है और आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो चक्रवात की शुरुआत से पहले ही बाहर निकल जाए। ऐसी स्थिति में अक्सर घर पर रहना सबसे अच्छा होता है।
- आवास की शीर्ष मंजिल पर नहीं रहें। भू-स्थल के करीब रहें ।
- मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में प्रवेश न करें। उन्हें नावों और राफ्टों को एक सुरक्षित जगह में बांधना चाहिए।
- पुरानी और क्षतिग्रस्त इमारतों या नजदीकी पेड़ों के पास आश्रय लेने से बचें।
- पावर लाइनों को नहीं छूएं । इससे बिजली का करंट लग सकता है ।

चक्रवात के बाद क्या करें

- टूटी हुई ग्लास और मलबे की अन्य नुकिली वस्तुओं से बचें।
- सांप और कीड़ों से सावधान रहें। मदद के लिए पुकारने का प्रयास करें।
- स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन श्रमिकों की सलाह सुनो।
- यह सुनिश्चित करें कि बाहर निकलने से पहले तूफान कम हो गया है।
- रेडियो और टीवी नेटवर्क पर "ऑल क्लियर संदेशकी प्रतीक्षा करना उचित है। "
- आपातकालीन राहत टीमों के आने की प्रतीक्षा करें। प्रभावकारी राहत मिलने में थोड़ा समय लग सकता है।
- बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें।
- मछुआरों को फिर से मछली पकड़ने के लिए कम से कम 24 घंटे इंतजार करना चाहिए।
- जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो स्वयंसेवी लोग उनकी मदद करेंगे:जैसे ,
 - सुरक्षित निकाले गए लोगों को घर वापस ले जाना और नुकसान का आकलन करना
 - घायल लोगों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना
 - रक्तदान करना
 - उन स्थानों को ढूँढना जहां मृतकों को तब तक रखा जा सके जब तक कि उनकी अंतिम क्रिया पूरी नहीं किया जा सके ।
 - जल्द से जल्द सामान्य स्थिति आने तक व्यवस्थीकरण सुनिश्चित करें

भूकंप सुरक्षा

भूकंप से पूर्व क्या करें और क्या न करें

- भूकंप संबंधी तथ्यों को अपने परिवार के सदस्यों को बताएं
- भूकंप प्रतिरोधी विधि के साथ नई इमारतों का निर्माण और पुरानी इमारतों को मजबूत करना।
- अपने घर और परिवार के सदस्यों का बीमा करें
- प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन के लिए प्रशिक्षण लें।
- शीशे की खिड़की के पास चारपाई न रखें।
- भारी और नाजुक चीजें ताक पर न रखें।
- अपने बिस्तर पर फोटो फ्रेम, दर्पण, या चश्मा न लटकाएँ ।
- अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ नकदी और आवश्यक सामान बैग में तैयार रखें।
- भूकंप से पहले अपने घर को बीमाकृत करें।

- पड़ोसी चिकित्सा), तकनीकी (संबंधी विशेष कौशल की जानकारी रखें ताकि इसका उपयोग आपातकाल में किया जा सके।

भूकंप के दौरान क्या करें और क्या न करें

- घबराएँ नहीं ।
- यदि पहले से ही घर के अंदर हो, तो अंदर ही रहें! भारी मेज या टेबल के नीचे जाओ और उसको नीचे से पकड़े रहें ।
- अगर आग लग जाती है, तो फर्श पर लेट जाएँ तथा निकास द्वार की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़ें।
- यदि आप भूकंप के दौरान बाहर हैं, तो इमारतों, पेड़ और बिजली लाइनों से दूर रहें। एक शांत और व्यवस्थित रूप से, खुले स्थानों की ओर आगे बढ़ें ।
- यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जल्दी से सावधानीपूर्वक अपनी कार को यथासंभव यातायात से बाहर ले जाएं और रोकें। पुल या ओवरपुल या पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों, बिजली लाइनों या संकेतों के पास या उनके नीचे न रोकें। भूकंप के रुकने तक कार के अंदर ही रहें।
- यदि आप स्कूल में हैं, तो डेस्क या टेबल के नीचे आएँ और नीचे से पकड़ें।

भूकंप के बाद क्या करें और क्या न करें

- भूकंप के बाद के झटकों से नहीं डरें
- सरकारी घोषणा के लिए रेडियो-टीवी और अन्य मीडिया माध्यमों को सुनें
- अपने और अपने आस-पास के लोगों की चोटों की जांच करें। जहाँ से भी प्राप्त हो प्राथमिक सहायता लें ।
- यदि आग लगी हो तो बुझाएँ
- इमारत ढहने के खतरे में है या नहीं है यह सुनिश्चित करने के लिए दीवारों, फर्श, दरवाजे, सीढ़ियों और खिड़कियों की जांच करें ।
- असुरक्षित या जोखिम भरे घरों या इमारतों में प्रवेश न करें।
- गैस रिसाव का निरीक्षण करें- यदि आप गैस की गंध आये या फैंली हो या गैस रिसाव की आवाज़ सुनाई पड़े, तो खिड़की खोलें और तुरंत इमारत छोड़ दें। यदि आपको गैस रिसाव का संदेह है तो अपने रसोई के स्टोव को आग न दें।
- टेलीफोन लाइनों को अनावश्यक रूप से व्यस्त न रखें।
- बिजली की लाइनों को बंद करें।

आग लगने से सुरक्षा

क्या करें

- लाइसेंस प्राप्त दुकान से आतिशबाज़ी खरीदें।
- एक बंद बॉक्स में आतिशबाज़ी रखें
- पटाखे आग या ज्वलनशील स्रोतों से दूर रखें
- पटाखे जलाने के संबंध में ज़ारी सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन करें
- खेल के मैदानों, खेतों जैसे खुले स्थान पर जाएं
- एक तने का उपयोग करके सुरक्षित दूरी पर उन्हें जलाएँ।
- पटाखे जलाने के दौरान सुरक्षित दूरी पर खड़े रहें
- पानी की बाल्टी में आतिशबाज़ी का प्रयोग न करें
- आग फैलने की स्थिति में, पानी की बाल्टी और कंबल तैयार रखें।
- आग से अधिकतम सुरक्षा के लिए मोटे सूती कपड़े पहनें।

- अगर कपड़े में आग लगती हैं, तो रुकें, नीचे सो जाएँ और लुढ़के
- अनियंत्रित आग के मामले में पीड़ित को कंबल में लपेटें, जब तक आग न बुझ जाए ।
- जल जाने की स्थिति में नल का पाने डालें (बर्फ का नहीं) जलने की उत्तेजना कम होने तक इस प्रक्रिया को दोहराएँ
- अगर उंगलियों या पैर का अंगूठा जल जाए, तो उन्हें सूखे, विसंक्रमित, गैर आसंजी ड्रेसिंग करें ।
- सुनिश्चित करें कि जला हुआ पीड़ित श्वास ले रहा है, अगर सांस रुक गई हो या या पीड़ित की श्वसन नली अवरुद्ध है तो श्वसन नली उसे खोलें और यदि आवश्यक हो तो बचाव हेतु मुह के द्वारा श्वास प्रक्रिया शुरू करें।
- जले हुए अंग को उठाएं और इसे दबाव एवं घर्षण से बचाएं।
- गीले विसंक्रमित कपड़े की पट्टी से जले हुए हिस्से को ढंके (जलन को ठीक करने के लिए कंबल या तौलिया का उपयोग न करें)।
- उचित उपचार के लिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श लें।
- आंखों की चोटों के मामले में तत्काल एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें।
- त्योंहार के दौरान इयूटी पर उपस्थित डॉक्टरों के ब्योरे के लिए फायर ब्रिगेड)दूरभाष संख्या (101पर संपर्क करें।

क्या न करें

- भीड़-भाड़ वाले स्थानों, संकीर्ण गलियों या घर के अंदर पटाखे न जलाएँ ।
- किसी वयस्क व्यक्ति की अनुपस्थिति में बच्चों को पटाखे न जलाने दें
- अपनी जेब में आतिशबाज़ी न डालें या उन्हें न फेंके
- अतिरिक्त प्रभावकारी ध्वनि के लिए टिन कंटेनर या कांच की बोतलों के अंदर पटाखों को न रखें
- नहीं फटने वाले पटाखों की जांच करने की कोसिस न करें...इन्हें छोड़ दें।
- अपने हाथों पर रोशनीदार पटाखों को हाथ में लेने का दुस्साहस न करें ।
- वाहन के अंदर आतिशबाजी न करें।
- लंबे ढीले कपड़ों से बचें, क्योंकि वे तेजी से आग पकड़ते हैं।
- जले कपड़ों को न हटाएं (जब तक कि यह आसानी से नहीं छूट जाता), लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित अभी भी सुलगने वाली सामग्री के संपर्क में नहीं है।
- जले हुए हिस्से पर चिपकने वाली मरहम पट्टी ना लगाएँ ।
- जले हुए फफोले को न फोड़ें ।

बाढ़ से सुरक्षा

बाढ़ के बाद क्या करें और क्या न करें

- बाढ़ के बाद पानी से उत्पन्न बीमारियों के प्रसार की संभावना है, और इसलिए चिकित्सा उपचार तुरंत लिया जाना चाहिए।
- गहरे, अज्ञात पानी में प्रवेश न करें।
- बाढ़ के पानी के कम होने बाद भी नदी के किनारे न जाएं।
- स्थिर गंदे पानी में दवाएं छिड़कें।
- किसी भी दरार या अन्य नुकसान के लिए अपने घर का निरीक्षण करें। सभी दीवारों, मंजिल, छत, दरवाजे और खिड़कियों की जांच करें, ताकि घर गिरने की किसी भी संभावना की आशंका ज्ञात हो सके और आप खतरे के बारे में तत्काल जागरूक हो सकें।
- अगर बाढ़ का पानी घर में प्रवेश कर चुका है या घर से घिरा हुआ है, तो सलाह दी जाती है कि इस तरह के घर में प्रवेश न करें।
- रेडियो और टेलीविजन पर मौसम पूर्वानुमान सुनते रहें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित होने पर ही अपने निवास स्थान पर जाएं। यह विश्वास करना सुरक्षित नहीं है कि बाढ़ के पानी के बाद समस्याएं समाप्त हो गई हैं।
- गैस, बिजली, टेलीफोन, जल निकासी इत्यादि जैसे आवश्यक कनेक्शनों की बहाली के लिए सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी को सूचित करें।
- बाढ़ के पानी के साथ घर के अंदर संभवतया आये विभिन्न कीड़ों या जहरीले सांपों से सावधान रहें।
- बाढ़ के पानी से प्रभावित खाद्य वस्तुओं को नष्ट करें।
- सभी इलेक्ट्रिक सर्किट, सतह पर रखी भट्टी, बॉयलर, गैस सिलेंडर, या मोटर पंप इत्यादि जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण ठीक तरह से जांचें। जांच करें कि बाढ़ के पानी के साथ कोई ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तु अंदर आई है अथवा नहीं।
- विद्युत उपकरणों को कोई नुकसान देखा जाता है, तो मुख्य बिजली की आपूर्ति बंद करें।
- अगर आपको जल निकासी प्रणाली में रिसाव का पता चलता है तो शौचालय का उपयोग बंद कर दें और नल के पानी का उपयोग न करें।
- प्रदूषित पानी का प्रयोग न करें।
- जल निकास प्रणाली की जांच की जानी चाहिए और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए तत्काल किसी भी टूट-फूट की मरम्मत की जानी चाहिए।
- पानी पंप की मदद से धीरे-धीरे बेसमेंट में घिरे पानी को खाली करें ताकि बुनियादी ढांचे का नुकसान कम किया जा सके।
- गैस रिसाव की जांच करें जिसे गैस की गंध या रिसाव की आवाज सुनकर जाना जा सकता है; तुरंत सभी खिड़कियां खोलें और घर छोड़ दें।
- उपयोग से पहले पीने का पानी उबालें और क्लोरीन युक्त पानी पीएं।
- सुरक्षित भोजन खाओ।
- निर्देश के अनुसार बाढ़ की स्थिति के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू किया जाना चाहिए। बचाव कार्य के लिए किसी भी शॉर्टकट का पालन न करें।
- घर वापस जाने के लिए सुरक्षित आश्रय छोड़ने की कोशिश न करें जब तक कि स्थानीय अधिकारियों ने बाढ़ के बाद सामान्य स्थिति घोषित न की हो और घर लौटने के निर्देश न दिए जाएं।

सुनामी से सुरक्षा

सुनामी से पहले क्या करें और क्या न करें

- सुनामी चेतावनी संकेतों से परिचित रहें। तट के पास रहने वाले लोगों को भूकंप या एक बड़े पैमाने पर भू-कंपन को एक चेतावनी संकेत मानना चाहिए। तटीय जल में दृश्य रूप से तेजी से वृद्धि या गिरावट भी इस बात का संकेत है कि सुनामी आ रही है।
- सुनिश्चित करें कि सभी परिवार के सदस्यों को यह मालूम हो कि सुनामी आने पर क्या करें। जवाब निकासी योजना बनाओ। उंचे स्थान पर एक निर्दिष्ट स्थान चुनें।
- भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बाद, आस-पास के इलाकों में और बाहर की सड़कों को अवरुद्ध हो सकती है, इसलिए एक से अधिक निकास मार्ग चुनें।
- परिवार के सदस्यों को सिखाएं कि गैस, बिजली और पानी कैसे बंद करें
- बच्चों को निकासी योजनाओं के बारे में पहले से पढ़ाया जाना चाहिए।
- पहले से ही आपातकालीन किट तैयार करें। आपातकालीन किट में फ्लैशलाइट और अतिरिक्त बैटरी, बैटरी संचालित रेडियो और अतिरिक्त बैटरी, प्राथमिक चिकित्सा किट आपातकालीन भोजन और पानी, आवश्यक दवाएं आदि होनी चाहिए।

सुनामी के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें

- नवीनतम आपातकालीन जानकारी पाने हेतु रेडियो या टेलीवीजन सुने और बताये जाने पर जगह खाली करने के लिए तैयार रहें।
- यदि आप सुनामी की चेतावनी सुनते हैं, तो उंचे मैदान पर तत्काल चले जाए और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षित स्थिति बताये जाने पर ही घर पहुँचे।
- खाली किये जाने वाले स्थान की ओर क्रमबद्ध तरीके से, शांत एवं सुरक्षित रूप से बढ़ें
- समुद्र तट से दूर रहें। समुद्र तट से नीचे कभी यह देखने के लिए ना जाएँ कि सुनामी आ रही है।
- यदि समुद्र की लहरें आपको दिखाई देती हैं तो आप इसके निकट हैं कि बच नहीं सकते।
- प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षित बताये जाने पर ही घर जाएँ।

सुनामी के बाद क्या करें और क्या नहीं करें

- नवीनतम आपात जानकारी हेतु बैटरी संचालित रेडियो सुनते रहें।
- घायल या फँसे हुए व्यक्तियों की मदद करें।
- क्षतिग्रस्त भवनों से दूर रहें। प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षित बताये जाने पर ही घर जाएँ।
- सावधानी पूर्वक अपने घर में प्रवेश करें। क्षतिग्रस्त भवनों में प्रवेश करते समय फ्लैशलाइट/टॉर्च का उपयोग करें। बिजली के झटकों और खुले तारों से सावधान रहें।
- विद्युत उपकरणों या लाइट का उपयोग तब तक नहीं करें जब तक किसी विद्युतकर्मि द्वारा विद्युत प्रणाली की जाँच ना की गई हो।
- भवन को सूखने में सहायक बनने हेतु खिड़की या दरवाजे खोल दें।
- बेलचे से नम दीवारों पर मिटटी डालें ताकि दीवार और फर्श सूख सके।
- खाद्य आपूर्ति और पेयजल की जाँच करें।
- बाढ़ के पानी के संपर्क में आये ताज़ा आहार प्रदूषित हो सकता है और इसीलिए इसे फेंक दिया जाना चाहिए।

अनुलग्नक : 6

आपदा से निपटने के लिए एक टीम / कंपनी के लिए उपकरणों की सूची की अनुक्रमणिका ।

क्रम.सं.	टीम / कंपनी का नाम	अनुलग्नक
1.	एक टीम / कंपनी के लिए प्रथम चिकित्सा बचावकर्ता समूह / कंपनी उपकरण	3
2.	एक टीम / कंपनी के लिए खोज और बचाव बचावकर्ता टीम / कंपनी उपकरण	4
3.	एक टीम / कंपनी के लिए अग्निशमन बचावकर्ता टीम / कंपनी उपकरण	5
4.	एक टीम / कंपनी के लिए जोखिमपूर्ण सामग्री आपातकालीन बचावकर्ता टीम / कंपनी उपकरण	6
5.	एक टीम / कंपनी के लिए व्यापक विनाश बचावकर्ता टीम के लिए हथियार / कंपनी उपकरण	7
6.	एक टीम / कंपनी के लिए बाढ़ बचाव बचावकर्ता टीम / कंपनी उपकरण	8

अनुलग्नक : 7

एक कंपनी के लिए प्रथम चिकित्सा बचावकर्ता के लिए उपकरण

क. अनुशंसित मेडिकल कार्मिक आवश्यकताएँ

चिकित्सा अधिकारी	-	2
चिकित्सा-सहायक	-	8
चालक	-	4

ख. बचावकर्मी थैले के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपकरण

1.	कम बजनी मुड़ने योग्य स्ट्रेचर	20
2.	रीढ़ की हड्डी के लिए स्ट्रेचर	10
3.	क्रैमर वायर स्प्लिंट्स	10 सेट
4.	गर्दन के पट्टे (विभिन्न)	30 सेट
5.	ऊनी कंबल	20
6.	प्राथमिक चिकित्सा किट	30 सेट

प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए अनुशंसित सामग्री

क्रम.सं.	टीम	मात्रा
1.	सक्रिय कोयला (जहर संबंधी आपातकाल के लिए) कुप्पी	20
2.	चिपकने वाली पट्टी बंडेज - विभिन्न आकार वाली (20 पैक)	2
3.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2")	2
4.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4")	2
5.	वायुमार्ग -ओरल (80 मिमी)	2
6.	वायुमार्ग -ओरल (60 मिमी)	2
7.	वायुमार्ग -ओरल (40 मिमी)	2
8.	शराब - 70% रगड़ना	100 मि.ली.
9.	शराब - पोंछा जाना	10
10.	अंबू बैग (वयस्क)	1
11.	अंबू बैग (बाल चिकित्सा)	1
12.	अम्लरोधी गोलियां	20

क्रम.सं.	टीम	मात्रा
13.	जीवाणुनाशक मलहम (सोफ्रामिसिन)	1
14.	रोगाणुरोधक स्प्रे	1
15.	धमनी पुलिका	1
16.	एस्पिरिन गोलियां	20
17.	पट्टियां लचीली 3"	2
18.	पट्टियां लोचदार (क्रेप, 6 ")	2
19.	पट्टियां रोल 3"	10
20.	पट्टियां रोल 6"	10
21.	त्रिकोणीय पट्टियां	10
22.	ऊनी कंबल	1
23.	रक्तचाप उपकरण	1
24.	जलने पर लगाने वाला स्प्रे	1
25.	कैलेमाइन लोशन	100 मि.ली.
26.	कपास रोल 500 ग्राम	2
27.	कपास के फाहे	20
28.	निकास योग्य लाटेक्स या विनाइल दस्ताने (6" एवं 7")	10
29.	आई पैड	10
30.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (वयस्क)	2
31.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (शिशु)	2
32.	प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका	1
33.	फलैशलाइट	1
34.	पूलिका (स्टेनलेस स्टील, गैर दांतेदार) 12.5 सेमी	1
35.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त कॉटन) 2" x 4"	20
36.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त वेसिलीन)	10
37.	गरम पानी की बोतल	1
38.	ऑक्सीजन सिलेंडर, कमवजनी एल्यूमिनियम 110 लीटर. (वैकल्पिक)	1
39.	ऑक्सीजन केनोला नाज़ल	5
40.	ओआरएस पाउच	5
41.	दर्द में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रे	1
42.	पेपर लेखन पैड एवं पेंसिल	1
43.	कागज के पीने के कप	5
44.	वायवीय स्पलिट सेट	1
45.	सेफ्टी पिन	10
46.	कैची (स्टेनलेस स्टील) 12.5 सेमी	1
47.	साबुन	1
48.	सलिंग्स (कोहनी कंधे)	5
49.	स्टेथोस्कोप	1
50.	चीनी या ग्लूकोज़ का घोल	100 ग्राम
51.	थर्मामीटर - ऑरल	1

क्रम.सं.	टीम	मात्रा
52.	जीभ अवसादक (निकास योग्य)	5
53.	मशाल	1
54.	रक्तबंध (लचीला)	1
55.	ट्राइएज रिबन (हरा/लाल/काला/पीला) प्रत्येक 5	20
56.	बाइट छड़ी	5
57.	आँखों की सुरक्षा हेतु चश्मे	1
58.	चिकित्सा उपकरण ले जाना हेतु बक्सा	2

ग.।) मूल शिविर के लिए चिकित्सा उपकरण

1.	रोशनदान 1. प्राथमिकता मॉडल: पीएसी -22	1
2.	सक्शन मशीन - बैटरी द्वारा संचालित	1
3.	रक्तचाप उपकरण - पारा और एनीरोइड	1
4.	डायग्नोस्टिक सेट के साथ लैरींगोस्कोप	1
5.	नेत्रदर्शक	1
6.	मास्क के साथ अंबू बैग	4
7.	वायुमार्ग - धातु और प्लास्टिक	4
8.	ऑक्सीजन अनुनासिक कैथेटर और मास्क	10
9.	एंडोत्राचेल ट्यूब (बाल चिकित्सा / वयस्क)	6
10.	सक्शन कैथेटर	10
11.	680 लीटर के हल्के वजन वाले स्वचालित ऑक्सीजन सिलिंडर । ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली सहित क्षमता	1
12.	हल्के वजन वाले स्वचालित ऑक्सीजन सिलेंडर (110 लीटर)	4
13.	रायल्स ट्यूब सं. 18	3
14.	मूत्र कैथेटर फोली, मध्यम और सादा	3 प्रत्येक
15.	मशाल	3
16.	थर्मामीटर	3
17.	जीभ अवसादक	3
18.	आपातकालीन दवाइयों और उपकरणों के लिए ब्रीफकेस	3
19.	IV सेट	12
20.	वेनफ्लॉन नं. 8, 20, 22 (प्रत्येक चार)	12
21.	सिरिंज 2 मिली, 5 मिली, 10 मिलीलीटर (प्रत्येक 10)	30
22.	विसंक्रमित डिस्पोजेबल सुई 21, 22, 23, 24, 26 (10 प्रत्येक)	50
23.	स्ट्रेचर (घुमावदार, कम बजनी, बाइवर ग्लास)	1
24.	स्पाइनल स्ट्रेचर	1
25.	क्रैमर वायर स्प्लिंट्स	10
26.	वायवीय पट्टी	1 सेट

II) दवाएँ

I-अ) टॉपिकल स्प्रे

1.	दर्द का स्प्रे	10
2.	जलने पर लगाने वाला स्प्रे	10
3.	रोगाणुरोधक स्प्रे	10

II-आ) साँस लेनेवाला

1.	अस्थालिन इनहेलर	10
2.	बुडकोर्ट इनहेलर	10

II-इ) इंजेक्शन

1.	रिंगर लैक्टेट	30
2.	साधारण लावणयुक्त	10
3.	हीमासेल	10
4.	एफफकोर्लिन	10
5.	डिकाड्रोन	10
6.	अट्रोपिन	10
7.	अमिनोफिलीन	10
8.	अस्थालिन	10
9.	डेरीफाइलीन	10
10.	एड्रेनालाईन	10
11.	पेथिडीन	10
12.	मॉर्फिन	10
13.	वोवेरन	30
14.	डोपामाइन	10
15.	पोटेशियम क्लोराइड	10
16.	सोडियम बाइकार्बोनेट	10
17.	स्टेमेटिल	10
18.	पेरिनेम	30
19.	ऐविल (25 मिलीग्राम)	30
20.	फेनर्गन	30
21.	पैरासिटामोल	30

22.	कंपोज	30
23.	रेनीटिडिन	30
24.	बुस्कोपन	30
25.	ज्यलकार्ड 2%	10
26.	एंटी- स्नेल जहर और एंटी सेरा	10

॥-ई) गोलियाँ

1.	क्रोसिन	500
2.	निमुलिड	500
3.	पेरियूम	100
4.	एवील	500
5.	प्रेडनिसोलोन (5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम)	100
6.	सोरबेट्रेट (5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम)	100
7.	डेपिन कैप्सूल (5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम)	100
8.	डोमस्टल (10 मिलीग्राम)	100
9.	अल्पाट्रेक (0.25 मिलीग्राम)	100
10.	नॉरफ्लोक्स टीजेड	100
11.	मेट्रोनिडाजोल	500
12.	फुरोक्सोन	500
13.	डायजिन	500
14.	बुस्कोपन (10 मिलीग्राम)	100
15.	सिप्लोक्स (500 मिलीग्राम)	300
16.	सेप्टरेन	500
17.	एमोक्सिसिलिन	500
18.	ओरल रिहाइड्रेशन नमक (ओआरएस)	500

॥-उ) विविध

1.	सोफ्रामिसिन मलम	10
2.	सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम	10
3.	स्टेरपैक (कॉटन गौज)	30
4.	आई ड्रॉप ऑ सिप्लॉक्स	30
5.	कान की ड्रॉप 0 ओटेक - एसी	30
6.	सहायता पट्टी (विभिन्न - दो पैकेट)	30
7.	स्प्रिट	3 बोतलें
8.	टीआर. बेंजीन सीओ.	3 बोतलें
9.	सेवलॉन	3 बोतलें
10.	बीटाडीन	3 बोतलें
11.	स्टेरिल कॉटन (200 ग्राम)	30
12.	कॉटन की जालीदार पट्टी (3' x 3')	100
13.	कॉटन रोल (बड़े आकार की)	30

14.	कॉटन पट्टी	100
15.	ल्यूकोप्लास्ट	30
16.	आई पैड	30
17.	क्रेप पट्टी (6"/ 3")	30
18.	टोमिनक्वेट्स (क्लैस्टिक)	30
19.	गलपट्टी- कोहनी / कंधे	30
20.	दस्ताने (आकार 6 1/2, 7, 7 1/2)	30

घ. उपकरण

1.	चैटल पूलिका	3
2.	धमनी पूलिका	6
3.	गुर्दा ट्रे	3
4.	डिस्पोजेबल कट डाउन सेट	6
5.	ड्रेसिंग कैंची	6
6.	स्टेनलेस स्टील ड्रम - मध्यम	6

ड. फर्नीचर

1.	रोगी परीक्षण टेबल	1
2.	स्क्रीन / पर्दा	3
3.	रोगी बिस्तर	1
4.	फ्रीज 165 लीटर ऑटो डिफ्रॉस्ट	1
5.	स्टील अलमीरा	1
6.	चादरे	4
7.	कंबल	6
8.	आपातकालीन बिजली	1

च. वाहन

1.	एम्बुलेंस	:	2
2.	भारी वाहन (6 टन)	:	1
3.	सर्जिकल उपचार के लिए लाइट वाहन परिवर्तित	:	1

अनुलग्नक : 8

एक कंपनी के लिए खोज और बचाव हेतु उपकरण

क. व्यक्तिक उपकरण (प्रत्येक सदस्य)

1. हेलमेट / सरत्राण
2. गोफन के साथ पानी की बोतल
3. नेत्र संरक्षण उपकरण
4. कान संरक्षण उपकरण
5. सुरक्षा हेतु स्टील निर्मित टो बूट्स
6. सुरक्षा सीटी
7. घुटनों के पैड
8. कार्य हेतु दस्ताने
9. कार्य हेतु कपड़ा
10. टोपी या कैप
11. जल सुरक्षित टॉर्च

ख. खोज एवं बचाव उपकरण

- | | |
|---|----|
| 1. लोहे की उत्तोलन छड, 10 फिट लंबा | 10 |
| 2. फलक्रम के लिए भारी ब्लॉक | 10 |
| 3. क्रोबार्स | 20 |
| 4. पिक्स | 20 |
| 5. कुदालियाँ (या फावडा) | 20 |
| 6. अर्ध गोलाकार फ़ाइल | 10 |
| 7. स्लेज हथौड़ा | 20 |
| 8. भारी कुल्हाड़ी | 10 |
| 9. हल्की कुल्हाड़ी | 10 |
| 10. दो-हथौड़ी कटाई आरा | 10 |
| 11. हस्त आरा | 10 |
| 12. 100 फिट लम्बी 12 मिमी बीओबी रस्सी | 10 |
| 13. 100 फिट लम्बी 5/8 तार वाली रस्सी | 10 |
| 14. 40 फिट लम्बी 12 मिमी बीओबी रस्सी | 20 |
| 15. चेन टेकल | 10 |
| 16. एकल गट्ठा असंबद्ध ब्लॉक | 10 |
| 17. पेट्रोमेक्स लेम्प | 10 |
| 18. जलसुरक्षित विद्युत संचालित टॉर्च | 20 |
| 19. तूफानी लालटेन | 20 |
| 20. तिरपाल 12 फिट x 12 फिट | 20 |
| 21. रस्सा पुली सेट (3 पुली - 2 पुली) | 10 |
| 22. 5 टन बजनी जैक | 10 |
| 23. 20 फीट लंबी 10 मिमी बीओबी रस्सी | 20 |
| 24. रबर दस्ताने (जोड़ा) 25,000 तक जांचा गया | 10 |

25. 200 फीट लंबी 16 मिमी बीओबी रस्सी	10
26. स्ट्रेचर फीता (सेट)	10
27. सिर्फ़ पैरों के लिए मचान ध्रुव	20
28. मलबे की बाल्टी	20
29. अग्निकर्मी की कुल्हाड़ी (ढोने वाली थैलियों के साथ)	10
30. एल्युमीनियम की छोटी सीढ़ी (8 या 10 फिट)	10
31. बाल्टी	20
32. चमड़े के दस्ताने (जोड़े)	20
33. एल्युमीनियम की छोटी सीढ़ी 35'	10
34. प्राथमिक चिकित्सा सेट पाउच	10

विषयवस्तु :

- i) त्रिकोणीय पट्टियां
- ii) उन्नत टॉर्निकेट्स टूनिकेट कसने के डिब्बे
- iii) ड्रेसिंग संबंधी गोले
- iv) प्राथमिक चिकित्सा ड्रेसिंग
- v) लेबल, हताहत पहचान (बीस का पैकेट)
- vi) बड़े सुरक्षा पिन (छह कार्ड)
- vii) कैंची
- viii) टॉर्निकेट्स

ग विशिष्ट बचाव उपकरण

अ.) विद्युत संचालित

i) इलेक्ट्रिक ड्रिल	4
ii) डायमंड ब्लेड के साथ वर्तुलाकार आरी	4
iii) तोड़ने वाला हथौड़ा	4
iv) धुआं धमनी और निकास-उपकरण	2
v) विद्युत जनरेटर (10 केवी)	2
vi) डायमंड चैन आरी	4
vii) बुलेट चैन आरी	4

ब.) वायुचालित (एयर पावर्स)

i) वायुचालित टांकी	4
ii) वायु भार उठाने वाला थैला (वायु उठाने वाला बैग (विभिन्न क्षमता)	2 सेट
viii) उछलने वाली तकिया	2

स.) जलीय संचालित

i) छिड़कने वाला	4
ii) कटर	4
iii) कॉम्बी उपकरण	4
iv) बचाव रैम्स	4
v) ग्लास रीमूवर (पंच मार्क)	10

द.) अन्य सहायक उपकरण और सहायक उपसाधन -

i) सैट फोन	1
ii) वायरलेस वीएचएफ 150w	1
iii) सर्चलाइट	10
iv) वॉकी-टॉकी	20 सेट
v) खोजी कैमरा	4
vi) वीडियो कैमरा	2
vii) टेपरिकार्डर	2
viii) बैटरी संचालित उच्च ध्वनि यंत्र	2
ix) पाइप रिंच	4
x) क्रिसेंट / समायोज्य रिंच	4
xi) स्लॉट पेचकस	4 सेट
xii) फ़ाइलें	4
xiii) हस्त ड्रिल	4
xiv) ऑरेंज पेंट के डिब्बे	4
xv) फ्लैश लाइट	4
xvi) जाल 4 X 4 मीटर	4
xvii) मापने वाला टेप, 3 मीटर	4
xviii) लकड़ी के ब्लॉक (10 x 10 x 45 सेमी)	32
xix) लकड़ी के बीम (10 x 10 सेमी x 3 मीटर)	2
xx) लकड़ी के बीम (10 x 10 सेमी x 5 मीटर)	7
xxi) लकड़ी के बीम (5 x 10 सेमी x 5 मीटर)	8
xxii) प्लाईवुड बोर्ड 12 मिमी टिक 1.25 x 5 मीटर	1
xxiii) लकड़ी की परत	48
xxiv) लकड़ी की कील	32
xxv) कील	200
xxvi) स्ट्रेचर	10
xxvii) कंबल	10

xxviii) बोलफ कटर (कतरनी)	4
xxix) छत के हुक	10
xxx) 3 टन उठाने वाली पुल्ली	5
xxxi) 6 फिट चेन (3 टन लिफ्ट)	5
xxxii) पोर्टेबल एसीटिलीन कटिंग सेट	3
xxxiii) रुख कंबल	2
xxxiv) प्रघात चिकित्सा किट	10

घ. प्राथमिक चिकित्सा किट

प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए अनुशंसित सामग्री

क्रम.सं.	टीम	मात्रा
1.	सक्रिय कोयला (जहर संबंधी आपातकाल के लिए) कुप्पी	20
2.	चिपकने वाली पट्टी बैंडेज - विभिन्न आकार वाली (20 पैक)	2
3.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2")	2
4.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4")	2
5.	वायुमार्ग -ओरल (80 मिमी)	2
6.	वायुमार्ग -ओरल (60 मिमी)	2
7.	वायुमार्ग -ओरल (40 मिमी)	2
8.	शराब - 70% रगड़ना	100 मि.ली.
9.	शराब - पोंछा जाना	10
10.	अंबू बैग (वयस्क)	1
11.	अंबू बैग (बाल चिकित्सा)	1
12.	अम्लरोधी गोलियां	20
13.	जीवाणुनाशक मलहम (सोफ्रामिसिन)	1
14.	रोगाणुरोधक स्प्रे	1
15.	धमनी पुलिका	1
16.	एस्पिरिन गोलियां	20
17.	पट्टियां लचीली 3"	2
18.	पट्टियां लोचदार (क्रेप, 6 ")	2
19.	पट्टियां रोल 3"	10
20.	पट्टियां रोल 6"	10
21.	त्रिकोणीय पट्टियां	10
22.	ऊनी कंबल	1
23.	रक्तचाप उपकरण	1
24.	जलने पर लगाने वाला स्प्रे	1
25.	कैलेमाइन लोशन	100 मि.ली.
26.	कपास रोल 500 ग्राम	2

क्रम.सं.	टीम	मात्रा
27.	कपास के फाहे	20
28.	निकास योग्य लाटेक्स या विनाइल दस्ताने (6" एवं 7")	10
29.	आई पैड	10
30.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (वयस्क)	2
31.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (शिशु)	2
32.	प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका	1
33.	फलैशलाइट	1
34.	पूलिका (स्टेनलेस स्टील, गैर दांतेदार) 12.5 सेमी	1
35.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त कॉटन) 2" x 4"	20
36.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त वेसिलीन)	10
37.	गरम पानी की बोतल	1
38.	ऑक्सीजन सिलेंडर, कमवजनी एल्यूमिनियम 110 लीटर. (वैकल्पिक)	1
39.	ऑक्सीजन केनोला नाज़ल	5
40.	ओआरएस पाउच	5
41.	दर्द में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रे	1
42.	पेपर लेखन पैड एवं पेंसिल	1
43.	कागज के पीने के कप	5
44.	वायवीय स्पलिट सेट	1
45.	सेफ्टी पिन	10
46.	कैची (स्टेनलेस स्टील) 12.5 सेमी	1
47.	साबुन	1
48.	सलिंग्स (कोहनी कंधे)	5
49.	स्टेथोस्कोप	1
50.	चीनी या ग्लूकोज़ का घोल	100 ग्राम
51.	थर्मामीटर - ऑरल	1
52.	जीभ अवसादक (निकास योग्य)	5
53.	मशाल	1
54.	रक्तबंध (लचीला)	1
55.	ट्राइएज रिबन (हरा/लाल/काला/पीला) प्रत्येक 5	20
56.	बाइट छड़ी	5
57.	आँखों की सुरक्षा हेतु चश्मे	1
58.	चिकित्सा उपकरण ले जाना हेतु बक्सा	2

ड वाहन

- | | | |
|----|--------------------------|-----|
| 1. | बचाव निविदा (उपकरण रहित) | : 4 |
| 2. | एम्बुलेंस | : 2 |
| 3. | संघठन कार्य ट्रक | : 2 |

अनुलग्नक : 9

एक कंपनी के लिए आग से सुरक्षा हेतु उपकरण

क. व्यक्तिक उपकरण (प्रत्येक सदस्य)

1. हेलमेट
2. गोफन के साथ पानी की बोतल
3. नेत्र संरक्षण उपकरण
4. कान संरक्षण उपकरण
5. सेफ्टी हेतु स्टील निर्मित टो बूट्स
6. सुरक्षा सीटी
7. घुटनों के पैड
8. कार्य हेतु दस्ताने
9. कुल मिलाकर
10. व्यक्तिक सुरक्षा रेखा (सश कॉर्ड) 15' लंबाई
11. चिपकने वाले जूते

ख. व्यक्तिक सुरक्षा उपकरण

1.	आग में प्रवेश करने का सूट	10
2.	आग निकटता सूट	10
3.	आग तक पहुँचने में सक्षम सूट	20
4.	रासायनिक सुरक्षात्मक कपड़े	
	स्तर क	2
	स्तर ख	2
	स्तर ग	2
5.	एनबीसी सूट	2
6.	स्व निहित श्वास उपकरण	30
	अतिरिक्त सिलेंडर (सकारात्मक दबाव) के साथ	
7.	बी. ए. कंप्रेसर	1
8.	चमड़े के दस्ताने	50 Pairs
9.	व्यक्तिक रेखा 5 मी. लंबी	50
10.	गाइड लाइन 3 मी. लंबी	50

ग) आग की रोकथाम हेतु उपकरण

1.	डिलिवरी नली 15 मी. लंबी	63 mm	40
		38 mm	10
2.	सक्शन नली 2.5 मी. लंबी		20
3.	सभी प्रकार की शाखाएं (एक्रोन शाखा, बहुउद्देश्यीय)		20
4.	फोम शाखा (5 x 10 x एफबी 10)		10
5.	सक्शन एडोटेन		5
6.	ऋण एवं धन डिलीवर एडाप्टर		10
7.	सक्शन एकत्रित शीर्ष		5
8.	ब्रीचिंग विभाजित		5
9.	नियंत्रण त्रुटि को संज्ञान में लेना		5
10.	सक्शन रिंच		10 जोड़ी
11.	सक्शन स्ट्रेनर		5
12.	बाल्टी स्ट्रेनर		5
13.	30 मी. लंबी रेखा और 25 मी. लंबा नायलोन		5
14.	30 मी. लंबी बचाव रेखा और 25 मी. नायलोन		5
15.	30 मी. छोटी बचाव रेखा और 25 मी. नायलोन		5
16.	10 किलो अनुकूल डीसीपी फोम		5
17.	9 लीटर एएफएफएफ अग्निशामक यन्त्र		5
18.	9 लीटर पानी कार्बनडाई ऑक्साइड अग्निशामक यन्त्र		5
19.	7 किलो कार्बनडाई ऑक्साइड अग्निशामक यन्त्र		5
20.	20 लीटर क्षमता वाला फोम (एएफएफएफ) कंटेनर		20
21.	35 फीट एल्यूमिनियम विस्तार-क्षेत्र सीढ़ी		5
22.	छोटे गियर सेट		5
23.	मशाल की रोशनी		5
24.	बी.ए. सेट		5
25.	पोर्टेबल उच्च दाब पम्प		6

घ. प्राथमिक चिकित्सा किट

10

प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए अनुशंसित सामग्री

क्रम.सं.	टीम	मात्रा
1.	सक्रिय कोयला (जहर संबंधी आपातकाल के लिए) कुप्पी	20
2.	चिपकने वाली पट्टी बैंडेज - विभिन्न आकार वाली (20 पैक)	2
3.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2")	2
4.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4")	2
5.	वायुमार्ग -ओरल (80 मिमी)	2
6.	वायुमार्ग -ओरल (60 मिमी)	2
7.	वायुमार्ग -ओरल (40 मिमी)	2
8.	शराब - 70% रगड़ना	100 मि.ली.
9.	शराब - पोंछा जाना	10
10.	अंबू बैग (वयस्क)	1
11.	अंबू बैग (बाल चिकित्सा)	1
12.	अम्लरोधी गोलियां	20
13.	जीवाणुनाशक मलहम (सोफ्रामिसिन)	1
14.	रोगाणुरोधक स्प्रे	1
15.	धमनी पूलिका	1
16.	एस्पिरिन गोलियां	20
17.	पट्टियां लचीली 3"	2
18.	पट्टियां लोचदार (क्रेप, 6 ")	2
19.	पट्टियां रोल 3"	10
20.	पट्टियां रोल 6"	10
21.	त्रिकोणीय पट्टियां	10
22.	ऊनी कंबल	1
23.	रक्तचाप उपकरण	1
24.	जलने पर लगाने वाला स्प्रे	1
25.	कैलेमाइन लोशन	100 मि.ली.
26.	कपास रोल 500 ग्राम	2
27.	कपास के फाहे	20
28.	निकास योग्य लाटेक्स या विनाइल दस्ताने (6" एवं 7")	10
29.	आई पैड	10

क्रम.सं.	टीम	मात्रा
30.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (वयस्क)	2
31.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (शिशु)	2
32.	प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका	1
33.	फ्लैशलाइट	1
34.	पूलिका (स्टेनलेस स्टील, गैर दांतेदार) 12.5 सेमी	1
35.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त कॉटन) 2" x 4"	20
36.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त वेसिलीन)	10
37.	गरम पानी की बोतल	1
38.	ऑक्सीजन सिलेंडर, कमवजनी एल्यूमिनियम 110 लीटर. (वैकल्पिक)	1
39.	ऑक्सीजन केनोला नाज़ल	5
40.	ओआरएस पाउच	5
41.	दर्द में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रे	1
42.	पेपर लेखन पैड एवं पेंसिल	1
43.	कागज के पीने के कप	5
44.	वायवीय स्पलिट सेट	1
45.	सेफ्टी पिन	10
46.	कैंची (स्टेनलेस स्टील) 12.5 सेमी	1
47.	साबुन	1
48.	सलिंग्स (कोहनी कंधे)	5
49.	स्टेथोस्कोप	1
50.	चीनी या ग्लूकोज़ का घोल	100 ग्राम
51.	थर्मामीटर - ऑरल	1
52.	जीभ अवसादक (निकास योग्य)	5
53.	मशाल	1
54.	रक्तबंध (लचीला)	1
55.	ट्राइएज रिबन (हरा/लाल/काला/पीला) प्रत्येक 5	20
56.	बाइट छड़ी	5
57.	आँखों की सुरक्षा हेतु चश्मे	1
58.	चिकित्सा उपकरण ले जाना हेतु बक्सा	2

ड. वाहन

1.	अग्निशमन संबंधी निविदा (प्रकार 'बी') (सभी उपकरणों के साथ)	2
2.	फोम निविदा	1
3.	बचाव निविदा	1
4.	नियंत्रण वाहन	1
5.	एम्बुलेंस	1
6.	एकत्रिकरण कार्य ट्रक (माध्यम)	2

अनुलग्नक : 10

एक कंपनी हेतु प्रथम बचावकर्ताओं के लिए आपातकालीन जोखिमपूर्ण सामग्री हेतु उपकरण

क. निजी उपकरण (स्तर डी) (प्रत्येक सदस्य)

1. कुल मिलाकर
2. दस्ताने
3. जूते, रासायनिक प्रतिरोधी, स्टील निर्मित पैर की अंगुली और शंकु
4. जूते, बाहरी, रासायनिक प्रतिरोधी)निकास योग्य(
5. सुरक्षा चश्मा या रासायनिक छिड़काव, चश्मे, पॉली कार्बोनेट लेंस।
6. हेलमेट
7. स्लिंग के साथ पानी की बोतल

ख. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

1. स्तर क (20 सेट)

1. स्व निहित श्वास उपकरण
2. कुल -संपुटित रासायनिक सुरक्षात्मक सूट
3. दस्ताने, बाहरी, रासायनिक प्रतिरोधी
4. दस्ताने, भीतरी, रासायनिक प्रतिरोधी

2. स्तर ख (20 सेट)

1. स्व निहित श्वास उपकरण (एससीबीए)
2. लोचदार कलाई और जूते के साथ टोपीदार रासायनिक प्रतिरोधी कपड़े
3. भीतरी रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने
4. बाहरी रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने
5. जूते का बाहरी भाग, रासायनिक प्रतिरोधी (निकास योग्य)

3. स्तर ग (20 सेट)

1. वायु शुद्धीकरण श्वसन यंत्र ,अतिरिक्त पुर्जों के साथ
2. लोचदार कलाई और एड़ियों के साथ टोपीदार रासायनिक प्रतिरोधी कपड़े
3. आंतरिक रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने
4. बाहरी रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने

4. एनबीसी सूट (20 सेट)

ग. एनबीसी विशिष्ट उपकरण

क्र. सं.	उपकरण	संख्या
1.	टेलिटेक्टर (यूआर / एच से 1000 आर / एच रेंज)	1
2.	जीएम सर्वेक्षण मीटर	6
3.	संदूषण की निगरानी	6
4.	छोटा रेड मीटर	6
5.	पोर्टेबल अल्फा मॉनिटर	6
6.	प्रत्यक्ष पढ़ने की मात्रामिति (प्रति एक सदस्य)	30
7.	टीएलडी (प्रति सदस्य एक)	30
8.	प्लास्टिक बैग / कॉर्डनिंग टेप, न्यूनतम	6 सेट
9.	परिशोधन किट	5 सेट
10.	आयोडेट टैबलेट (केआईओ ₃)	1000
11.	फिल्टर पेपर के साथ बैटरी संचालित वायु नमूना	6
12.	डैंजर मेक सी.डी. किट	6
13.	पानी में जहर का पता लगाने की किट	2
14.	एलईएल मीटर (विस्फोटक मीटर)	6
15.	पीएच परीक्षक	6
16.	पीएच पेपर	6 बक्सा
17.	संकट संकेत इकाई (डीएसयु)	40
18.	प्राथमिक चिकित्सा किट एनबीसी प्रकार 'ए'	10
19.	प्राथमिक चिकित्सा किट एनबीसी प्रकार 'बी'	10
20.	बी. ए. सेट के लिए रिसाव परीक्षक	2
21.	पोर्टेबल परिशोधन तंत्र	10
22.	परिशोधन घोल	10 लीटर
23.	परिशोधन गियर (प्लास्टिक की चादर, ब्रश, बाल्टी, आग बुझाने का नल, डब्बे, पोर्टेबल पंप)	10 सेट
24.	बॉडी बैग	30
25.	आपातकालीन प्रतिक्रिया निर्देशिका	10
26.	सुरक्षा मशाल	30
27.	30 मीटर लंबे रासायनिक प्रतिरोधी के साथ सुरक्षा रेखा।	30
28.	उच्च दृश्यता स्वेटर	30
29.	यातायात शंकु	20
30.	सोडा ऐश और सोडा हाइड्रोक्साइड के 20 किलो पात्र	10

क्र. सं.	उपकरण	संख्या
31.	एएफएफएफ के 20 लीटर पात्र	10
32.	20 लीटर प्लास्टिक ड्रम	4
33.	नली निचोड़ने का यंत्र	10
34.	रिसाव भंडारण उपकरण	4 सेट
35.	क्लोरीन रिसाव कैपिंग किट	2 सेट
36.	गैर चमकने वाला उपकरण (पाइप तोड़ने वाला, हथौड़ा, क्यूरेट ओपनर, पेचकश सेट)	5 सेट
37.	गैर स्पर्किंग ब्रश, झाड़ू फावड़ियां और सब्बल	5 सेट
38.	चिकित्सा टैग	50
39.	कटी हुई गोंद की बोतल के साथ मल्टी गैस डिटेक्टर	6
40.	प्राथमिक चिकित्सा किट (एमएफआर के अनुसार)	5
41.	रासायनिक एजेंट मॉनिटर	3
42.	नमूना संग्रह के लिए कपास के साबुन (प्रत्येक पैकेट में संख्या में 20)	10 पैकेट
43.	नमूना संग्रह करने वाली बड़े आकार की प्लास्टिक की थैली (प्रत्येक पैकेट में संख्या में 20)	
44.	नमूना संग्रह करने वाली छोटे आकार की प्लास्टिक थैली (प्रत्येक पैकेट में संख्या में 20)	10 पैकेट
45.	लेटेक्स दस्ताने निकास योग्य (प्रत्येक पैकेट में 100)	10 पैकेट
46.	फ्लेम आयनीकरण डिटेक्टर	2
47.	अल्ट्रा बैंगनी फोटो - आयनीकरण डिटेक्टर	2

घ. प्राथमिक चिकित्सा किट

10

एक प्राथमिक चिकित्सा किट हेतु अनुशंसित सामग्री

क्र. सं.	टीम	मात्रा
1.	सक्रिय कोयला (जहर संबंधी आपातकाल के लिए) कुप्पी	20
2.	चिपकने वाली पट्टी बैंडेज - विभिन्न आकार वाली (20 पैक)	2
3.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2")	2
4.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4")	2
5.	वायुमार्ग -ओरल (80 मिमी)	2
6.	वायुमार्ग -ओरल (60 मिमी)	2
7.	वायुमार्ग -ओरल (40 मिमी)	2
8.	शराब - 70% रगड़ना	100 मि.ली.
9.	शराब - पोंछा जाना	10

क्र. सं.	टीम	मात्रा
10.	अंबू बैग (वयस्क)	1
11.	अंबू बैग (बाल चिकित्सा)	1
12.	अम्लरोधी गोलियां	20
13.	जीवाणुनाशक मलहम (सोफ्रामिसिन)	1
14.	रोगाणुरोधक स्प्रे	1
15.	धमनी पूलिका	1
16.	एस्पिरिन गोलियां	20
17.	पट्टियां लचीली 3"	2
18.	पट्टियां लोचदार (क्रेप, 6 ")	2
19.	पट्टियां रोल 3"	10
20.	पट्टियां रोल 6"	10
21.	त्रिकोणीय पट्टियां	10
22.	ऊनी कंबल	1
23.	रक्तचाप उपकरण	1
24.	जलने पर लगाने वाला स्प्रे	1
25.	कैलेमाइन लोशन	100 मि.ली.
26.	कपास रोल 500 ग्राम	2
27.	कपास के फाहे	20
28.	निकास योग्य लाटेक्स या विनाइल दस्ताने (6" एवं 7")	10
29.	आई पैड	10
30.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (वयस्क)	2
31.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (शिशु)	2
32.	प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका	1
33.	फलैशलाइट	1
34.	पूलिका (स्टेनलेस स्टील, गैर दांतेदार) 12.5 सेमी	1
35.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त कॉटन) 2" x 4"	20
36.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त वेसिलीन)	10
37.	गरम पानी की बोटल	1
38.	ऑक्सीजन सिलेंडर, कमवजनी एल्यूमिनियम 110 लीटर. (वैकल्पिक)	1
39.	ऑक्सीजन केनोला नाज़ल	5
40.	ओआरएस पाउच	5
41.	दर्द में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रे	1
42.	पेपर लेखन पैड एवं पेंसिल	1
43.	कागज के पीने के कप	5

क्र. सं.	टीम	मात्रा
44.	वायवीय स्पलिटिंग सेट	1
45.	सेफटी पिन	10
46.	कैची (स्टेनलेस स्टील) 12.5 सेमी	1
47.	साबुन	1
48.	सलिंग्स (कोहनी कंधे)	5
49.	स्टेथोस्कोप	1
50.	चीनी या ग्लूकोज़ का घोल	100 ग्राम
51.	थर्मामीटर - ऑरल	1
52.	जीभ अवसादक (निकास योग्य)	5
53.	मशाल	1
54.	रक्तबंध (लचीला)	1
55.	ट्राइएज रिबन (हरा/लाल/काला/पीला) प्रत्येक 5	20
56.	बाइट छड़ी	5
57.	आँखों की सुरक्षा हेतु चश्मे	1
58.	चिकित्सा उपकरण ले जाना हेतु बक्सा	2

ड. वाहन

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. टॉइंग उपकरण निविदा | 4 |
| 2. एम्बुलेंस | 2 |
| 3. एकत्रिकरण कार्य ट्रक | 2 |
-

अनुलग्नक : 11

कंपनी हेतु प्रथम बचावकर्ताओं के लिए व्यापक विनाश के हथियार हेतु उपकरण

निजी उपकरण (स्तर डी) (प्रत्येक सदस्य)

1. कुल मिलाकर
2. दस्ताने
3. जूते, रासायनिक प्रतिरोधी, स्टील निर्मित पैर की अंगुली और शंकु
4. जूते, बाहरी, रासायनिक प्रतिरोधी (निकास योग्य)
5. सुरक्षा चश्मा या रासायनिक छिड़काव, चश्मे, पॉली कार्बोनेट लेंस।
6. हेलमेट
7. स्लिंग के साथ पानी की बोतल

ख. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

1. स्तर क) 10 सेट(

1. स्व निहित श्वास उपकरण
2. कुल-संपुटित रासायनिक सुरक्षात्मक सूट
3. दस्ताने, बाहरी, रासायनिक प्रतिरोधी
4. दस्ताने, भीतरी, रासायनिक प्रतिरोधी

2. स्तर ख (10 सेट)

1. स्व निहित श्वास उपकरण (एससीबीए)
2. लोचदार कलाई और जूते के साथ टोपीदार रासायनिक प्रतिरोधी कपड़े
3. भीतरी रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने
4. बाहरी रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने
5. जूते का बाहरी भाग, रासायनिक प्रतिरोधी (निकास योग्य)

3. स्तर ग (10 सेट)

1. वायु शुद्धीकरण श्वसन यंत्र, अतिरिक्त पुर्जों के साथ
2. लोचदार कलाई और एड़ियों के साथ टोपीदार रासायनिक प्रतिरोधी कपड़े
3. आंतरिक रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने
4. बाहरी रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने

4. एनबीसी सूट (60 सेट)

ग. एनबीसी विशिष्ट उपकरण

क्र.सं.	उपकरण	संख्या
1.	टेलिटेक्टर (यूआर / एच से 1000 आर / एच रेंज)	1
2.	जीएम सर्वेक्षण मीटर	6
3.	संदूषण की निगरानी	6
4.	छोटा रेड मीटर	6
5.	पोर्टेबल अल्फा मॉनिटर	6
6.	प्रत्यक्ष पढ़ने की मात्रामिति (प्रति एक सदस्य)	30
7.	टीएलडी (प्रति सदस्य एक)	30
8.	प्लास्टिक बैग / कॉर्डनिंग टेप, न्यूनतम	6सेट
9.	परिशोधन किट	5सेट
10.	आयोडेट टैबलेट (केआईओ ₃)	1000
11.	फिल्टर पेपर के साथ बैटरी संचालित वायु नमूना	6
12.	डैंजर मेक सी.डी. किट	6
13.	पानी में जहर का पता लगाने की किट	2
14.	एलईएल मीटर (विस्फोटक मीटर)	6
15.	पीएच परीक्षक	6
16.	पीएच पेपर	6 बक्सा
17.	संकट संकेत इकाई (डीएसयु)	40
18.	प्राथमिक चिकित्सा किट एनबीसी प्रकार 'ए'	10
19.	प्राथमिक चिकित्सा किट एनबीसी प्रकार 'बी'	10
20.	बी. ए. सेट के लिए रिसाव परीक्षक	2
21.	पोर्टेबल परिशोधन तंत्र	10
22.	परिशोधन घोल	10 लीटर
23.	परिशोधन गियर (प्लास्टिक की चादर, ब्रश, बाल्टी, आग बुझाने का नल, डब्बे, पोर्टेबल पंप)	10 सेट
24.	बॉडी बैग	30
25.	आपातकालीन प्रतिक्रिया निर्देशिका	10
26.	सुरक्षा मशाल	30
27.	30 मीटर लंबे रासायनिक प्रतिरोधी के साथ सुरक्षा रेखा।	30
28.	उच्च दृश्यता स्वेटर	30
29.	यातायात शंकु	20

क्र.सं.	उपकरण	संख्या
30.	सोडा ऐश और सोडा हाइड्रोक्साइड के 20 किलो पात्र	10
31.	एएफएफएफ के 20 लीटर पात्र	10
32.	20 लीटर प्लास्टिक ड्रम	4
33.	नली निचोड़ने का यंत्र	10
34.	रिसाव भंडारण उपकरण	4 सेट
35.	क्लोरीन रिसाव कैपिंग किट	2 सेट
36.	गैर चमकने वाला उपकरण (पाइप तोड़ने वाला, हथौड़ा, क्यूरेट ओपनर, पेचकश सेट)	5 सेट
37.	गैर स्पाकिंग ब्रश, झाड़ू फावड़ियां और सब्बल	5 सेट
38.	चिकित्सा टैग	50
39.	कटी हुई गोंद की बोतल के साथ मल्टी गैस डिटेक्टर	6
40.	प्राथमिक चिकित्सा किट (एमएफआर के अनुसार)	5
41.	रासायनिक एजेंट मॉनिटर	3
42.	नमूना संग्रह के लिए कपास के साबुन (प्रत्येक पैकेट में संख्या में 20)	10 पैकेट
43.	नमूना संग्रह करने वाली बड़े आकार की प्लास्टिक की थैली (प्रत्येक पैकेट में संख्या में 20)	
44.	नमूना संग्रह करने वाली छोटे आकार की प्लास्टिक थैली (प्रत्येक पैकेट में संख्या में 20)	10 पैकेट
45.	लेटेक्स दस्ताने निकास योग्य (प्रत्येक पैकेट में 100)	10 पैकेट
46.	फ्लेम आयनीकरण डिटेक्टर	2
47.	अल्ट्रा बैंगनी फोटो - आयनीकरण डिटेक्टर	2

घ. प्राथमिक चिकित्सा किट

10

प्राथमिक चिकित्सा किट हेतु अनुशंसित सामग्री

क्र. सं.	टीम	मात्रा
1.	सक्रिय कोयला (जहर संबंधी आपातकाल के लिए) कुप्पी	20
2.	चिपकने वाली पट्टी बंडेज - विभिन्न आकार वाली (20 पैक)	2
3.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2")	2
4.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4")	2
5.	वायुमार्ग -ओरल (80 मिमी)	2
6.	वायुमार्ग -ओरल (60 मिमी)	2
7.	वायुमार्ग -ओरल (40 मिमी)	2
8.	शराब - 70% रगड़ना	100 मि.ली.
9.	शराब - पोंछा जाना	10
10.	अंबू बैग (वयस्क)	1
11.	अंबू बैग (बाल चिकित्सा)	1
12.	अम्लरोधी गोलियां	20
13.	जीवाणुनाशक मलहम (सोफ्रामिसिन)	1
14.	रोगाणुरोधक स्प्रे	1
15.	धमनी पूलिका	1
16.	एस्पिरिन गोलियां	20
17.	पट्टियां लचीली 3"	2
18.	पट्टियां लोचदार (क्रेप, 6 ")	2
19.	पट्टियां रोल 3"	10
20.	पट्टियां रोल 6"	10
21.	त्रिकोणीय पट्टियां	10
22.	ऊनी कंबल	1
23.	रक्तचाप उपकरण	1
24.	जलने पर लगाने वाला स्प्रे	1
25.	कैलेमाइन लोशन	100 मि.ली.
26.	कपास रोल 500 ग्राम	2
27.	कपास के फाहे	20
28.	निकास योग्य लाटेक्स या विनाइल दस्ताने (6" एवं 7")	10
29.	आई पैड	10
30.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (वयस्क)	2
31.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (शिशु)	2

क्र. सं.	टीम	मात्रा
32.	प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका	1
33.	फलैशलाइट	1
34.	पूलिका (स्टेनलेस स्टील, गैर दांतेदार) 12.5 सेमी	1
35.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त कॉटन) 2" x 4"	20
36.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त वेसिलीन)	10
37.	गरम पानी की बोटल	1
38.	ऑक्सीजन सिलेंडर, कमवजनी एल्यूमिनियम 110 लीटर. (वैकल्पिक)	1
39.	ऑक्सीजन केनोला नाज़ल	5
40.	ओआरएस पाउच	5
41.	दर्द में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रे	1
42.	पेपर लेखन पैड एवं पेंसिल	1
43.	कागज के पीने के कप	5
44.	वायवीय स्पलिट सेट	1
45.	सेफ्टी पिन	10
46.	कैची (स्टेनलेस स्टील) 12.5 सेमी	1
47.	साबुन	1
48.	सलिंग्स (कोहनी कंधे)	5
49.	स्टेथोस्कोप	1
50.	चीनी या ग्लूकोज़ का घोल	100 ग्राम
51.	थर्मामीटर - ऑरल	1
52.	जीभ अवसादक (निकास योग्य)	5
53.	मशाल	1
54.	रक्तबंध (लचीला)	1
55.	ट्राइएज रिबन (हरा/लाल/काला/पीला) प्रत्येक 5	20
56.	बाइट छड़ी	5
57.	आँखों की सुरक्षा हेतु चश्मे	1
58.	चिकित्सा उपकरण ले जाना हेतु बक्सा	2

ड. वाहन

1. टॉइंग उपकरण निविदा	4
2. एम्बुलेंस	2
3. एकत्रिकरण कार्य ट्रक	2

अनुलग्नक : 12

एक कंपनी के लिए बाढ़ बचाव हेतु उपकरण

क. निजी उपकरण (प्रत्येक सदस्य)

- क) हेलमेट
- ख) गोफन के साथ पानी की बोतल
- ग) नेत्र संरक्षण उपकरण
- घ) कान संरक्षण उपकरण
- ङ) सुरक्षा हेतु स्टील निर्मित टो बूट्स
- च) सुरक्षा सीटी
- छ) घुटनों के पैड
- ज) कार्य हेतु दस्ताने
- झ) कुल मिलाकर
- ञ) व्यक्तिगत सुरक्षा रेखा (सश कॉर्ड) 15 'लंबाई'

ख. विशिष्ट बाढ़ बचाव उपकरण

1. बचाव बैक बोर्ड	20
2. हल्के वजन वाले उच्च दबाव पंप	10
3. डाइविंग सूट	10
4. अंडरवाटर बीए सेट	10
5. फ्लोटिंग पंप	05
6. हवा वाली नाव (12 व्यक्ति)	20
7. फाइबर नाव (12 व्यक्ति)	10
8. लाइफबॉय	30
9. जीवन जैकेट	100
10. बहुआयामी चरखी	10
11. कराबिनर	30
12. बास्केट स्ट्रेचर	10
13. फ्लड लाइट के साथ पोर्टेबल जेनरेटर	4
14. पोर्टेबल शेल्टर 10 'x 14', 10 'x 23'	10
15. वायवीय रोप लॉन्चर	2
16. आउट बोर्ड मोटर	10
17. लाउडहेलर / मेगाफोन	2
18. वॉकी - टॉकी	20

ग. विविध बाढ़ बचाव उपकरण

i)	पिक्स	10
ii)	कुदालियाँ (या फावड़ा)	10
iii)	स्लेज हथौड़ा	10
iv)	हलकी कुल्हाड़ी	10
v)	100 फीट लंबाई 12 मिमी बीओबी रस्सी	
vi)	वॉटर प्रूफ इलेक्ट्रिक टॉर्च	20
vii)	तूफान में प्रयोग करने वाला लालटेन	20
viii)	तिरपाल 12 फीट x 12 फीट	10
ix)	रस्सी निपटान का सेट (3 पुली - 2 पुली)	
x)	बीओबी रस्सियों की 20 फीट लंबाई 1 ½ इंच	20
xi)	रबर के दस्ताने (जोड़ी) 25,000 वोल्टेज तक परीक्षण)	10
xii)	सिर्फ पैरों के लिए मचान ध्रुव	10
xiii)	मलबे की टोकरी	20
xiv)	बाल्टी	20
xv)	चमड़े के दस्ताने (जोड़े)	30
xvi)	प्राथमिक चिकित्सा सेट पाउच	20 सेट

विषयवस्तु :

- i) त्रिकोणीय पट्टियां
- ii) उन्नत टॉर्निकेट्स टूनिंग कसने के डिब्बे
- iii) ड्रेसिंग संबंधी गोले
- iv) प्राथमिक चिकित्सा ड्रेसिंग
- v) लेबल, हताहत पहचान (बीस का पैकेट)
- vi) बड़े सुरक्षा पिन (छह कार्ड)
- vii) कैंची
- viii) टॉर्निकेट्स

घ. प्राथमिक चिकित्सा किट

10

एक प्राथमिक चिकित्सा किट हेतु अनुशंसित सामग्री

क्र. सं.	टीम	मात्रा
1.	सक्रिय कोयला (जहर संबंधी आपातकाल के लिए) कुप्पी	20
2.	चिपकने वाली पट्टी बंडेज - विभिन्न आकार वाली (20 पैक)	2
3.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2")	2
4.	चिपकने वाला टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4")	2
5.	वायुमार्ग -ओरल (80 मिमी)	2
6.	वायुमार्ग -ओरल (60 मिमी)	2
7.	वायुमार्ग -ओरल (40 मिमी)	2
8.	शराब - 70% रगड़ना	100 मि.ली.
9.	शराब - पोंछा जाना	10
10.	अंबू बैग (वयस्क)	1
11.	अंबू बैग (बाल चिकित्सा)	1
12.	अम्लरोधी गोलियां	20
13.	जीवाणुनाशक मलहम (सोफ्रामिसिन)	1
14.	रोगाणुरोधक स्प्रे	1
15.	धमनी पूलिका	1
16.	एस्पिरिन गोलियां	20
17.	पट्टियां लचीली 3"	2
18.	पट्टियां लोचदार (क्रेप, 6 ")	2
19.	पट्टियां रोल 3"	10
20.	पट्टियां रोल 6"	10
21.	त्रिकोणीय पट्टियां	10
22.	ऊनी कंबल	1
23.	रक्तचाप उपकरण	1
24.	जलने पर लगाने वाला स्प्रे	1
25.	कैलेमाइन लोशन	100 मि.ली.
26.	कपास रोल 500 ग्राम	2
27.	कपास के फाहे	20
28.	निकास योग्य लाटेक्स या विनाइल दस्ताने (6" एवं 7")	10
29.	आई पैड	10
30.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (वयस्क)	2
31.	सीपीआर हेतु चहरे का मुखौटा (शिशु)	2

क्र. सं.	टीम	मात्रा
32.	प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका	1
33.	फलैशलाइट	1
34.	पूलिका (स्टेनलेस स्टील, गैर दांतेदार) 12.5 सेमी	1
35.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त कॉटन) 2" x 4"	20
36.	जालीदार पैड (कीटाणू मुक्त वेसिलीन)	10
37.	गरम पानी की बोटल	1
38.	ऑक्सीजन सिलेंडर, कमवजनी एल्यूमिनियम 110 लीटर. (वैकल्पिक)	1
39.	ऑक्सीजन केनोला नाज़ल	5
40.	ओआरएस पाउच	5
41.	दर्द में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रे	1
42.	पेपर लेखन पैड एवं पेंसिल	1
43.	कागज के पीने के कप	5
44.	वायवीय स्पलिट सेट	1
45.	सेफ्टी पिन	10
46.	कैची (स्टेनलेस स्टील) 12.5 सेमी	1
47.	साबुन	1
48.	सलिंग्स (कोहनी कंधे)	5
49.	स्टेथोस्कोप	1
50.	चीनी या ग्लूकोज़ का घोल	100 ग्राम
51.	थर्मामीटर - ऑरल	1
52.	जीभ अवसादक (निकास योग्य)	5
53.	मशाल	1
54.	रक्तबंध (लचीला)	1
55.	ट्राइएज रिबन (हरा/लाल/काला/पीला) प्रत्येक 5	20
56.	बाइट छड़ी	5
57.	आँखों की सुरक्षा हेतु चश्मे	1
58.	चिकित्सा उपकरण ले जाना हेतु बक्सा	2

ड. वाहन

1. टॉइंग उपकरण निविदा	4
2. एम्बुलेंस	2
3. एकत्रिकरण कार्य ट्रक	2

अनुलग्नक : 13

राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड (एनडीआरएफ) से सहायता के लिए होने वाले खर्च के वस्तुओं एवं मानदंडों की संशोधित सूची

(अवधि 2010-2015, एमएचए पत्र संख्या 32-7 / 2011-एनडीएम-आई दिनांक 16 जनवरी 2012, पत्र संख्या 32-3 / 2012-एनडीएम-आई दिनांक 28 सितंबर 2012 को संशोधित, पत्र संख्या 32-3 के अनुसार संशोधित / 2013-एनडीएम-आई दिनांक 21 जून 2013)

क्रं.सं.	मद	सहायता के मानदंड
1	2	3
1	निः शुल्क राहत	<p>रू. 1.50 लाख प्रति मृत व्यक्ति को दिए जायेंगे जो राहत कार्यों में शामिल है या तत्पर गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उपयुक्त प्राधिकारी से मृत्यु के कारण प्रमाणन के अधीन हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> - विदेश में रहने वाला एक भारतीय नागरिक । जो अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण अपना जीवन खो देता है, इस मामले में उसके परिवार को इस राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा । - एक विदेशी नागरिक के मामले में जो भारत के क्षेत्र के भीतर एक अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण अपना जीवन खो देता है, इस मामले में उसके परिवार को भी इस राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

क्रं.सं.	मद	सहायता के मानदंड
	(ख) एक अंग या आँखों की क्षति हेतु अनुग्रह राशि का भुगतान।	<p>प्रति व्यक्ति रु. 43,500/- दिए जायेंगे, जब इनकी अशसक्तता 40% तथा 80% के बीच में हो ।</p> <p>प्रति व्यक्ति रु. 62,000/- दिए जायेंगे, जब इनकी अशसक्तता 80% से अधिक हो ।</p> <p>सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर द्वारा अशसक्तता और सीमा के संबंध में प्रमाणीकरण के अधीन है ।</p>
	ग) गंभीर चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।	<p>रु. 9,300/- प्रति व्यक्ति को दिए जायेंगे यदि उन्हें एक हफ्ते से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है ।</p> <p>Rs.3,100/- प्रति व्यक्ति को दिए जायेंगे यदि उन्हें एक हफ्ते से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है ।</p> <p>रु. 3,100/- प्रति व्यक्ति को दिए जायेंगे यदि उन्हें एक हफ्ते से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है ।</p>
	घ) उन परिवारों के लिए कपड़े बर्तन एवं घर के सामानों की व्यवस्था की जाएगी, जिनके घर एक सप्ताह से अधिक समय तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त / गंभीर रूप से खराब हो चुका है ।	<p>रु. 1,300/ - प्रति परिवार, कपड़े के नुकसान के लिए।</p> <p>रु. 1,400/ - प्रति परिवार, बर्तन के नुकसान के लिए / घरेलू सामान के लिए</p>
	ड) आपदा के बाद तत्काल भोजन की अत्यंत आवश्यकता के समय परिवारों के लिए निःशुल्क राहत। निःशुल्क राहत उन लोगों को प्रदान किया जाना चाहिए जिनके पास कोई खाद्य भंडार नहीं है, या जिनके खाद्य भंडार आपदा में नष्ट हो गए और जिनके पास सहायता का कोई अन्य तत्काल माध्यम नहीं है।	<p>प्रति वयस्क को रु. 40 / -, प्रति शिशु को रु. 30 / - प्रदान किये जायेंगे जिन्हें राहत शिविरों में नहीं रखा गया है । राज्य सरकार यह प्रमाणित करेगी कि (i) इन लोगों के पास कोई खाद्य भंडार नहीं है या आपदा में इनके खाद्य भंडार नष्ट हो गए हैं, एवं (ii) पीड़ित लाभार्थियों को राहत शिविरों में नहीं रखा गया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार लाभार्थियों को उनके सम्बंधित जिला में पहुंचने के साधन एवं प्रक्रिया मुहैया कराएगी ।</p> <p>निःशुल्क राहत प्रदान करने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) और केंद्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) के</p>

क्र.सं.	मद	सहायता के मानदंड
		आकलन के अनुसार होगी। 30 दिनों तक सहायता की डिफॉल्ट अवधि होगी, पहले उदाहरण में यदि आवश्यक हो तो इस अवधि को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है और बाद में सूखा / कीट के हमले के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
2.	खोज एवं बचाव कार्य	
	(क) प्रभावित लोगों की खोज और बचाव के उपाय / प्रभावित लोगों की संभावना / प्रभावित होने की संभावना।	वास्तविक लागत के अनुसार, एसईसी द्वारा मूल्यांकन और केंद्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित। जब तक केंद्रीय टीम प्रभावित क्षेत्र पहुंचेगी, तब तक ये गतिविधियां खत्म हो चुकी होगी। इसलिए, राज्य स्तरीय समिति और केंद्रीय टीम वास्तविक / या वास्तविक लागत की सिफारिश कर सकती है।
	(ख) तत्काल राहत और जीवन बचाने के लिए नौकाएँ किराये पर लेना।	वास्तविक लागत के अनुसार, एसईसी द्वारा मूल्यांकन और केंद्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित। वास्तविक लागत के अनुसार, एसईसी द्वारा मूल्यांकन और केंद्रीय दल (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित। सहायता की मात्रा किराये पर ली गई नौकाएँ एवं फंसे लोगों को बचाने के लिए आवश्यक उपकरण पर खर्च किए गए वास्तविक व्यय तक ही सीमित होगी और इस प्रकार एक अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान मानव जीवन को बचाया जायेगा।
3	राहत के उपाय	
	(क) राहत शिविरों में प्रभावित / निकाले गए और आश्रय लेने वाले लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल इत्यादि के लिए प्रावधान।	एसईसी की आवश्यकता के आकलन के अनुसार और केंद्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) की गई सिफारिश के अनुसार, 30 दिनों तक की अवधि के लिए एसईसी को शिविरों की संख्या, उनकी अवधि और शिविरों में व्यक्तियों की संख्या निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी। सूखे जैसी आपदा, या बाढ़ के भूकंप के कारण व्यापक विनाश की निरंतरता की स्थिति में, इस अवधि को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है और गंभीर सूखे के मामलों में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य आयोग (एनआरएचएम) द्वारा चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सकती है।
	(ख) आवश्यक आपूर्ति की एयर ड्रोपिंग	वास्तविक रूप से, एसईसी की आवश्यकता के आकलन के आधार पर और केंद्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित। - सहायता की मात्रा केवल आवश्यक आपूर्ति एवं बचाव कार्यों की एयर ड्रोपिंग के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा बिलों में दिए गए

क्र.सं.	मद	सहायता के मानदंड
		वास्तविक राशि तक ही सीमित होगी।
	(ग) ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति का प्रावधान।	वास्तविक लागत के अनुसार, एसईसी द्वारा मूल्यांकन और केंद्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा 30 दिनों तक अनुशंसित एवं सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
4.	प्रभावित क्षेत्रों की मंजूरी	
	क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलबे की निकासी।	वास्तविक लागत के अनुसार एसडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए एसईसी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर कार्य शुरू होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर होगा एवं केंद्रीय टीम के मूल्यांकन के अनुसार एनडीआरएफ के तहत सहायता प्रदान की जायेगी।
	ख) प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को धीरे-धीरे निकलना।	वास्तविक लागत के अनुसार एसडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए एसईसी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर कार्य शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर होगा एवं केंद्रीय टीम के मूल्यांकन के अनुसार एनडीआरएफ के तहत सहायता प्रदान की जायेगी।
	ग) मृत शरीर / शवों का निपटान	वास्तविक रूप से, एसईसी की आवश्यकता के आकलन के आधार पर एवं केंद्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित।
5.	कृषि	
(i)	लघु एवं सीमांत किसानों की सहायता।	
अ.	भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहायता	
	क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होने के लिए कृषि भूमि से अवसाद निकालने के लिए (जहां रेत / गंध जमा होने की मोटाई 3" से अधिक होना चाहिए।)	Rs. 8,100/- per hectare for each item. प्रत्येक मद हेतु रु. 8.100/- प्रति हेक्टेयर।
	ख) पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि भूमि से मलबे को हटाना	(शर्त यह है कि लाभार्थी को किसी भी अन्य सरकारी योजना के तहत किसी सहायता / सब्सिडी का कोई फायदा नहीं दिया गया हो)
	ग) मछली फार्म से अवसाद निकालना / बहाली / मरम्मत	
	घ) भूस्खलन, हिमस्खलन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पर्याप्त हिस्से का नुकसान।	रु. 25,000 / - प्रति हेक्टेयर केवल उन छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान किये जायेंगे जिनकी भूमि के स्वामित्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वैध है।
आ.	इनपुट सब्सिडी (जहां फसल का नुकसान 50% एवं उससे ऊपर है)	

क्र.सं.	मद	सहायता के मानदंड
	क) कृषि , बागवानी एवं वार्षिक वृक्षारोपण की फसल हेतु	बारिश वाले क्षेत्रों हेतु रु. 4,500/- प्रति हेक्टेयर एवं बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है । निश्चित सिंचित क्षेत्रों के लिए रु. 9,000/- प्रति हेक्टेयर है यदि न्यूनतम सहायता रु.750/- से कम नहीं हो एवं बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है ।
	ख) बारहमासी फसल	सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए रु. 12,000/- हेक्टेयर है यदि न्यूनतम सहायता रु. 1500/- से कम नहीं हो एवं बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है ।
	ग) रेशम उत्पादन	एरी, शहतूत, तसर के लिए रु. 3,200/- मूगा के लिए रु. 4.000/- प्रति हेक्टेयर ।
(ii)	लघु एवं सीमांत किसानों के अलावा अन्य किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी।	बारिश वाले क्षेत्रों हेतु रु.4,500/- प्रति हेक्टेयर एवं बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है । निश्चित सिंचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए रु. 9,000/- प्रति हेक्टेयर एवं बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है । सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए रु. 12,000/- एवं बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है । प्रति किसान 1 हेक्टेयर होने पर सहायता वहीं प्रदान की जा सकती है जहाँ फसल की क्षति 50% एवं इससे अधिक हो, तथा 2 हेक्टेयर तक की क्षति पूर्ति के मामले में बड़े आकार के बावजूद लगातार आपदाओं के मामले में प्रति किसान को दिया जाएगा ।
6.	पशुपालन - लघु एवं सीमांत किसानों की सहायता	
	i) पशु दुलाई के लिए उपयोग किये जाने वाले दुग्ध पशु, जुताई-पशु या पशुओं का प्रतिस्थापन ।	- दुग्ध पशु रु.16,400/- बैल/गाय ऊँट/याक इत्यादि रु. 1,650/- भेड़/बकरी - जुताई पशु रु. 15,000/- ऊँट/घोड़ा/बैल, इत्यादि रु. 10,000/- बछड़ा/गधा/टट्टू/खच्चर आर्थिक रूप से जुताई वाले पशुओं की वास्तविक क्षति के लिए सहायता प्रतिबंधित की जा सकती है एवं प्रति घर 1 बड़े दुधारू

क्र.सं.	मद	सहायता के मानदंड
		<p>पशु या 4 छोटे दुधारू पशु या जुताई में काम आने वाले 1 बड़े पशु या छोटे 2 पशु क्षतिपूर्ति के अधीन होंगे बावजूद इसके कि , किसी भी परिवार को अधिक संख्या में बड़े पशुओं से हाथ नुकसान का प्रमाणीकरण राज्य सरकार) धोना पड़ा हो या नहीं । द्वारापदनामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।(मुर्गी पालन:-</p> <p>प्रति पक्षी की पोल्ट्री @ 37 / - के अधीन सहायता दी जाएगी या प्रति लाभार्थी परिवारों को रु. 400 /- । पोल्ट्री पक्षियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए।</p> <p>नोट:- यदि किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता उपलब्ध होती है तो इन मानदंडों के तहत राहत योग्य नहीं होगी जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा या किसी भी अन्य बीमारियों के कारण पक्षियों की हानि होती है जिसके कारण पशुपालन विभाग के पास मुर्गी पालन के मालिक की क्षतिपूर्ति के लिए एक अलग योजना बनाई गई है।</p>
	<p>ii) मवेशी शिविरों में जल आपूर्ति और दवाओं सहित चारा / फीड सांद्रता का प्रावधान।</p>	<p>बड़े पशु- रु. 50/-प्रति दिन । छोटे पशु- रु. 25/-प्रति दिन ।</p> <p>राहत प्रदान करने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) के मूल्यांकन एवं केन्द्रीय दल के अनुसार होगी । (एनडीआरएफ के मामले में) पशुधन गणना के अनुसार मवेशियों के अनुमान के साथ संगत एवं आपदा से सम्बंधित दावा एवं टीका की आवश्यकता के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के अधीन है ।</p>
	<p>iii) मवेशी के शिविर के बाहर के मवेशियों के चारे का परिवहन ।</p>	<p>वास्तविक परिवहन मूल्य के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आवश्यकता के मूल्यांकन एवं केन्द्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) की सिफारिश पर आधारित पशुधन गणना के अनुसार मवेशियों के अनुमान के साथ संगत ।</p>
7.	मत्स्य पालन	
	<p>i) मरम्मत/नौकाओं,जाल का प्रतिस्थापन- क्षतिग्रस्त या खो जाना</p> <ul style="list-style-type: none"> - नौका - खोदकर निकलना-डोंगी - कटमरैन - जाल 	<p>रु. 3,000/- केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत हेतु</p> <p>रु. 1,500/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत हेतु</p> <p>रु. 7,000/- पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं के प्रतिस्थापन हेतु</p>

क्र.सं.	मद	सहायता के मानदंड
	(उस लाभार्थी को यह सहायता प्रदान नहीं की जाएगी यदि वह किसी अन्य सरकारी योजना के तहत तत्काल आपदा के लिए योग्य है या किसी सब्सिडी/ सहायता ले रखी हो।)	रु. 1,850/- पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन हेतु
	ii) मछली के बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी	Rs. 6,000/- प्रति हेक्टेयर (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन की योजना के तहत प्रदान की गयी एक बार सब्सिडी को छोड़कर, उस लाभार्थी को सहायता प्रदान नहीं की जाएगी यदि वह किसी अन्य सरकारी योजना के तहत तत्काल आपदा के योग्य है या किसी सब्सिडी/ सहायता ले रखी हो।)
8	हस्तशिल्प / हथकरधा- कारीगरों की सहायता	
	i) क्षतिग्रस्त औज़ार/उपकरण के प्रतिस्थापन हेतु।	रु. 3,000/- प्रति कारीगर के उपकरण हेतु। - क्षति एवं इसके प्रतिस्थापन के संबंध में सरकार द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन।
	ii) प्रक्रिया/तैयार माल में कच्चे माल/माल के नुकसान हेतु	रु. 3,000/- प्रति कारीगर के उपकरण हेतु। नुकसान एवं इसके प्रतिस्थापन के संबंध में सरकार द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन।
9	आवास	
	क) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त/ नष्ट घर	
	i) पक्का घर	रु. 70,000/- प्रति घर
	ii) कच्चा घर	रु. 15,000/- प्रति घर
	ख) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घर	
	i) पक्का घर	रु. 6,300/- प्रति घर
	ii) कच्चा घर	रु 3,200/- प्रति घर

तत्काल स्थिति के रूप में अवलोकन हेतु गतिविधियों की निदर्शी सूची ।

1. पेयजल आपूर्ति :

- i) हैंडपंप / रिंग कुएं / स्प्रिंग-टेप्ड-चैम्बर/ सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट, टंकी के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों की मरम्मत।
- ii) नयी नली की लम्बाई के साथ क्षतिग्रस्त नली की लम्बाई, स्वच्छ जलाशयों की सफाई (रिसाव से मुक्त करने के लिए) के सहित क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट की बहाली ।
- iii) क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीनों की मरम्मत, ओवरहेड जलाशयों एवं गैट्रीजेटीज / सहित पानी के पंपों में रिसाव होने पर क्षतिग्रस्त है ।

1. सड़कें :

- i) दरार और खंभे भरना, जलमार्ग बनाने के लिए नली का प्रयोग करना, तटबंधों की मरम्मत और पत्थर की भराई ।
- ii) क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत ।
- iii) तत्काल कनेक्टिविटी के लिए क्षतिग्रस्त/कमज़ोर हुए पुलों के लिए पृथक मोड़ प्रदान करना ।
- iv) पुलों की पहुँच मार्ग की अस्थायी मरम्मत/ पुलों के तटबंध, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, तत्काल बहाल कनेक्टिविटी के लिए सेतु, यातायात बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त खिंचाव या सड़कों के नीचे गिट्टी से आधार देना ।

2. सिंचाई :

- i) क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं तथा सीमेंट, रेत एवं पत्थरों के उपयोग के साथ टैंकों और छोटे जलाशयों के मिट्टी/चिनाई कार्यों की तत्काल मरम्मत ।
- ii) बंध दीवारों/तटबंधों में पाइपिंग या चूहे द्वारा किये गए छेद जैसे कमज़ोर हिस्सों की मरम्मत ।
- iii) नहर एवं जल निकासी व्यवस्था से वनस्पति सामग्री/निर्माण सामग्री/मलबे को हटाना ।

3. स्वास्थ्य:

क्षतिग्रस्त पहुँच सड़कों, इमारतों एवं पीएचसी/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की विद्युत लाइनों की मरम्मत ।

4. पंचायत की सामुदायिक सम्पत्तियाँ

- क. गाँव की आंतरिक सड़कों की मरम्मत ।
- ख. जल निकासी / मल जाने की लाइनों से मलबे को हटाने।
- ग. आंतरिक पानी की आपूर्ति लाइनों की मरम्मत ।
- घ. सड़क की बतियों की मरम्मत ।
- ड. प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों, सामुदायिक हॉल, आंगनवाड़ी इत्यादि की अस्थायी मरम्मत ।

अनुलग्नक : 14

मौसम बुलेटिनों में प्रयोग किये जाने वाले सामान्य शब्दावली

	(क). वर्षा की तीव्रता		प्रयोग की जाने वाली शब्दावली
1	0.1. मिमी से 2.4 मिमी	(24 घंटे)	बहुत हल्की वर्षा
2	2.5 मिमी से 7.5 मिमी	"	हल्की वर्षा
3	7.6 मिमी से 34.9 मिमी	"	हल्की से मध्यम वर्षा
4	35.0 मिमी से 64.9 मिमी	"	मध्यम वर्षा
5	65.0 मिमी से 124.9 मिमी	"	तेज़ वर्षा
6	125 मिमी से अधिक	"	बहुत तेज़ वर्षा

(ख) मौसम के हल का विशेष वितरण

	कवर किया गया प्रतिशत क्षेत्र	प्रयोग की जाने वाली शब्दावली
1	1 से 25	पृथक
2	26 से 50	कुछ जगहें
3	51 से 75	बहुत सारी जगहें
4	76 से 100	अधिकतर जगहों पर

(ग) आपातकालीन स्थिति











1. जब एच.एफ.एल के खतरे से ऊपर पानी का स्तर बढ़ रहा हो
2. जब वर्षा की तीव्रता का स्तर 65 मिमी / घंटा हो
3. जब उल्लंघनों की उम्मीद की जाती है और आपदा की आशंका हो ।
4. जब पानी का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा हो ।









(घ) शून्यीकरण





- (1) सफ़ेद संकेत - चेतावनी की स्थिति
- (2) नीला संकेत - शून्यीकरण के लिए तैयार
- (3) लाल संकेत - तत्कालीन शून्यीकरण

अनुलग्नक : 15

बंदरगाह में तूफान की चेतावनी संकेत

SIGNAL NUMBER	DAY SIGNAL	NIGHT SIGNAL	MEANING
संकेत संख्या	दिवस संकेत	रात्रि संकेत	अर्थ
1			दूरस्थ चेतावनी (तूफानी मौसम का क्षेत्र, जिसमें तूफान आ सकता है)
2			दूरस्थ की चेतावनी (तूफान बन गया है)
3			स्थानीय चेतावनी तूफानी मौसम से बंदरगाह खतरे में है
4			स्थानीय चेतावनी (बंदरगाह तूफानी मौसम के कारण खतरे में है पर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि सावधानी बरतने के चरम उपायों को अपनाना अभी तक पर्याप्त रूप से न्यायसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है ।)
5			खतरा (बंदरगाह अपने ट्रैक की बाईं ओर से चलने वाले अपेक्षित चक्रवात से गंभीर मौसम से गुजरेगा ।)

6			<p style="text-align: center;">खतरा</p> <p>(बंदरगाह अपने ट्रैक की दाईं ओर से चलने वाले अपेक्षित चक्रवात से गंभीर मौसम का अनुभव करेगा ।)</p>
7			<p style="text-align: center;">खतरा</p> <p>(बंदरगाह से होकर या नजदीक से चलने वाले अपेक्षित चक्रवात से बंदरगाह गंभीर मौसम का अनुभव करेगा ।)</p>
8			<p style="text-align: center;">बड़ा खतरा</p> <p>(बंदरगाह अपने ट्रैक की बाईं ओर से चलने वाले अपेक्षित चक्रवात से गंभीर मौसम का अनुभव करेगा ।)</p>
9			<p style="text-align: center;">बड़ा खतरा</p> <p>(बंदरगाह अपने ट्रैक की दाईं ओर से चलने वाले अपेक्षित चक्रवात से गंभीर मौसम का अनुभव करेगा ।)</p>

10			<p style="text-align: center;">बड़ा खतरा</p> <p>(बंदरगाह से होकर या नजदीक से चलने वाले अपेक्षित चक्रवात से बंदरगाह गंभीर मौसम का अनुभव करेगा ।)</p>
11			<p style="text-align: center;">संचार की विफलता</p> <p>मौसम संबंधी संकेत केंद्र से संचार टूट गया है एवं स्थानीय अधिकारी यह मानते हैं कि खराब मौसम का खतरा है ।</p>

अनुलग्नक : 16

आपातकालीन संपर्क निर्देशिका

1. संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

क्र.सं.	विभाग	दूरभाष	फैक्स
1.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	011 23092923 011 23093054 011 23092885 011 23093897	011-23092763 011-23093750
2	माननीय प्रशासक, दमण दीव तथा दानह	0260-2230770 2230700	0260- 2230775
3.	वित्त सचिव, दमण दीव	0260-2231453	0260-2230771
4	विकास आयुक्त	0260-2230726	0260-2230550
5	सचिव, राजस्व विभाग, दमण दीव	0260-2230726	0260-2230550
6	सचिव, स्वास्थ्य, दमण एवं दीव	0260-2230726	0260-2230550
7	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पीएचसी, मोटी दमण	(का)- 2230470 2230518 (आ.)- 2254604	
8	सचिव, गृह विभाग, दमण एवं दीव	0260-2230770 2230700	0260- 2230775
9.	पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस	0260-2220140	0260-2220076
10	सचिव, सूचना विभाग	0260-2230088	0260-2231170
11	सचिव, परिवहन विभाग	0260-2230698	
12	सचिव, सिविल आपूर्ति विभाग	0260-2230698	
13	समाहर्तालय (दमण)	0260-2230698	0260-2230689
14	उप-समाहर्ता	0260- 2231771	0260-2230689
15	मामलतदार	(का.)- 2230861 (आ.)- 2242522 (मो.) 9904411366	
16	समाज कल्याण अधिकारी, समाहर्तालय, दमण	2230854	
	सहायक निदेशक, परिवहन	(का.) 2255140 (आ.)2260766 (मो.) 9879125949	

क्र.सं.	विभाग	दूरभाष	फैक्स
17	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग	0260-2230926 2230422	
18	कार्यपालक अभियंता (विद्युत)	(का.)- 2240745 2255103 (आ.) 2992463 2261486 (मो.) 94269820323	
19	वन उप-संरक्षक कार्यालय, फोर्ट एरिया	2230974 2230978	
20	अग्निशमन	0260-2244060, 101 2241101, 2242666, 2241666	0260-2244111
21	सिविल आपूर्ति	0260-2230698 2230049	0260-2230689
22	बंदरगाह	0260-2230615 (मो.) 9825735098	
23	मत्स्योद्योग	0260-2255166 2230879 (आ.) - 2262915 (मो.)9824123816	
24	सदस्य-सचिव, प्रदूषण नियंत्रण, समिति, दमण	2230975	
25	सीआईएफ एवं बी, श्रम एवं रोजगार विभाग, दमण	(का.)2254091 (आ.)2231116	
26	तटरक्षक	0260-2260665 2260685	0260-2261004
27	वन	0260-2230978	
28	अधीक्षक सीमाशुल्क, श्रम विभाग के सामने, नानी दमण	2254674	
29	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत/ परियोजना निदेशक आरडीए	2230440 2231059 2230782	
30	Chief Officer DMC मुख्य अधिकारी, दमण नगरपालिका परिषद्	2230666	
अन्य महत्वपूर्ण अभिकरण			
1	मौसम प्रेक्षक	2260862	
2	ऑल इंडिया रेडियो, आकशवाणी केंद्र दमण	2243316 2243379	
3	कमान अधिकारी, तटरक्षक वायु	2260865	

क्र.सं.	विभाग	दूरभाष	फैक्स
	अवस्थान	2260858 (आ) 2261004	
4	जेटीओ, टेलीफोन एक्सचेंज	2260888 2261777 2250000 2263000	
5	प्राचार्य, नवोदय विद्यालय	2262903	
7	अध्यक्ष, दमण क्रिकेट संघ	2220401	
8	अध्यक्ष, दमण स्पोर्ट्स क्लब	2230470	
9	अध्यक्ष, मत्स्य उद्योग विविध कार्यकारी समिति, नानी दमण जेटी	2255013	
10	अध्यक्ष, दमण उद्योग संघ, सोमनाथ, दमण	2221171 2220571	

का = कार्यालय नंबर

आ. = आवास नंबर

मो. = मोबाइल नंबर

दीव जिला के विशिष्ट संपर्क विवरण

क्रं. सं.	सरकारी संस्था	दूरभाष / फैक्स नंबर		
		कार्यालय	आवास	फैक्स
अ	महत्वपूर्ण संस्थाएँ			
	समाहर्ता	252111 252444	252222 252176	252333
	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग	252294 252128	252315	-
	पुलिस अध्यक्ष	252133	252355	253633
	मामलतदार	252145	252137	-
	सहायक अभियंता (विद्युत)	252157	252357	--
	बंदरगाह अधिकारी	252263	271004	--
	रेंज वन अधिकारी	252485	-	252485
ब	कमांडिंग प्राधिकरण			
	नौसेना, सुभास नगर पोरबंदर	2240954	-	2240933
	तटरक्षक			
	1. बिरला फैक्ट्री रोड, पोरबंदर, (0286)	2241793 2240958	2244234	2210559

		2244056		
	1. तटरक्षक स्टेशन, ओखा (02892)	262259	-	263421
	तटरक्षक स्टेशन, जाखू (02831)	286433	--	286432
	तटरक्षक स्टेशन, वादिनार (02833)	256560	--	256560
	तटरक्षक क्षेत्र, (पश्चिम) मुंबई (022)	24301455 24333727	--	24333727
स	स्थानीय निकाय			
	दीव नागरिक समिति	252181	-	-
	दीव खेल परिषद	252181	252381	
	माछीमार माछी कल्याण मंडल	-	253890	-
	Fisherises Society मत्स्योद्योग समिति	-	252305	-
	महासागर मत्स्य सहकारी समिति	-	271368	-
	खानदान युवा मंडल मार्फत नर्सिभाई	251309	-	-
	सागर सम्राट युवक मंडल मार्फत चुन्नाभाई	251309	-	-
	एनएसएस	252158	-	-
	एनसीसी	252158	-	-
	स्काउट एवं गाइड्स	252158	-	-
द	अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएँ			
	समाहर्ता, जूनागढ़	2650202	2650203	2651332

2. भारत सरकार (गृह मंत्रालय)

क्र.सं.	पदनाम	कार्यालय	आवास	मोबाइल
1	गृह मंत्री	011-23092462 011-23017256	-	-
2	गृह सचिव	011-23092989 011-23093031 23093003 (फैक्स)	23013058	-

3	सचिव (बीएम)	011-23092440 23092717 (फैक्स)	24602518	-
4	सयुक्त सचिव (डीएम)	011-24638206 24610906 (फैक्स)	24103663	-
5	निदेशक (डीएम-1)	011-24642853	26266708	निदेशक (डीएम-1)
6	उप सचिव (एनडीएम-III)	011-24642381	26117043	उप सचिव (एनडीएम-III)
7	निदेशक (एनडीएम-IV)	011-24622543	-	-
8	अवर सचिव (एनडीएम-III)	011-24642380 24640391	-	-
9	अवर सचिव (एनडीएम-IV)	011-24640391		
10	टी.ओ.	011-24642379	-	-
11	राष्ट्रीय भूकंपीय सलाहकार	011-23702442	-	9818997029
12	सलाहकार एनडीएम	011-24642379	-	-

भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं प्रेक्षणशालाएँ

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय	आवास	फैक्स
1	डॉ. ए.वी. त्यागी	डी.जी.एम., नई दिल्ली	011-24611842	24633692	24611792
2	डॉ. सी.वी.वी. भद्रम	डी.डी.जी.एम. (सी.डब्लू) नई दिल्ली-3	011-24611068	24644937	24619167
3	आर.एस.दत्तात्रेयन	निदेशक (सिसमो)	011-24611305	2622827	
4	सूर्य बली जैस्वर	डी.डी.जी.एम.(सिसमो) नई दिल्ली-3	011-24629770	24648067	24629770
5	एक.के. शुक्ला	निदेशक (ईआरईसी) नई दिल्ली-3	011-24619943	24634714	
6	एस.बी. यादव	निदेशक (सी.डब्लू.सी) नई दिल्ली	011-24631913, 24629798	26196225	24643128 246266815
7	बी.के. बंदोपाध्याय	निदेशक (एन.एच.ए.सी.) दिल्ली	011-24619167		246110068
8	डॉ. आर.डी. वशिष्ठ	डी.डी.जी.एम.(एसआई) पुणे	020-25535411	27442954	25533201
9	डॉ. आर.पी. समुई	डीडीजीएम(एजी.) पुणे	020-25533420	25535953	
10	डॉ. आर.वी. शर्मा	डी.डी.जी.एम.	022-22150517	22150517	22150517

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय	आवास	फैक्स
		(आरएमसी मुंबई-5)			
11	एम.एस.तोमर	निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र, अहमदाबाद	22865165 (मो.) 9978406424	26852615	22865449
11	एम.एस.तोमर	निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र अहमदाबाद	22865165 (मो.) 9978406424	26852615	22865449
13	श्री. बी.के रस्तोगी	डी जी, भूकंपीय शोध संस्थान, गांधीनगर	23252703 23259100 फैक्स 23259192		9824020907

सुनामी चेतावनी केंद्र, हैदराबाद

नाम, पदनाम एवं अधिकारी का पता	दूरभाष नंबर			फैक्स
	कार्यालय	आवास	मोबाइल	
डॉ. सतीश शिनोय निदेशक, आईएनसीओआईएस भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र director@incois.gov.in shenoi@incois.gov.in	23895000 23886001	23894647	09441013377	23895001
टी. श्रीनिवास कुमार वैज्ञानिक प्रभारी, आईटीडब्लूसी (अंतरिम सुनामी संकेत केंद्र) srinivas@incois.gov.in	23895006 23886006	23892022	09441229297	23895012
डॉ. ई. पट्टाभाई राम राव (डाटा प्रबंधन समूह) pattabhi@incois.gov.in	23895008	23046412	09490191923	23895001

नाम, पदनाम एवं अधिकारी का पता	दूरभाष नंबर			फैक्स
	कार्यालय	आवास	मोबाइल	
वी.वी. सत्यनारायण (कार्यवाहक) सीडब्लूजी	23895005	-	09490191670	23895001
नियंत्रण कक्ष, सुनामी चेतावनी केंद्र (ऑपरेशन केंद्र)	23895011/19 23886064 23886034			23895012
राष्ट्रीय समुद्र तकनीकी संस्थान (एनआईओटी) एनआईओटी परिसर, वेलाचेरी- तम्बरुम मैन रोड, नारायणपुरम, पल्लीकरनै, चेन्नई- 600 100, तमिलनाडु, भारत, ईमेल:- postmaster@niot.res.in , फ़ोन :- 044-66783300, फैक्स :- 044-22460275				
डॉ. एम्.ए. आत्मानन्द निदेशक, एनआईओटी director@niot.res.in	044-66783301	044-22590391	09444399800	044-22460275

एनडीएम अधिकारी के संपर्कविवरण

नाम	कार्यालय	आवास	मोबाइल	ईमेल
एम.शशिधर रेड्डी, एमएलए, वीसी	26701701, 704, Fax :- 91-11- 26701706			vc@ndma.gov.in
श्री जे सिन्हा, सदस्य	26701740	241223 10	9818384040	jksinha@ndma.gov.in
श्री बीबी भट्टाचारजी, सदस्य	26701780	230701 45	9971147620	bhattacharjee.b@ndma.gov.in
डॉ. मुज़फ़्फ़र अहमद, सदस्य	26701736			muzaffarahmad@ndma.gov.in

नाम	कार्यालय	आवास	मोबाइल	ईमेल
नंदा कुमार, सदस्य	26701775			tnandakumar@ndma.gov.in
सुश्री पी.जे. राव, सदस्य	26701738	230738 90	9811660605	jyotir@ndma.gov.in
मेजर जनरल. जे के बंसल (सेवानिवृत्त), सदस्य	26701778			jkbansal@ndma.gov.in
डॉ. नूर मोहम्मद, भा.प्र.से., सचिव	26701710			secretary@ndma.gov.in
श्री अमित झा, जेएस, (पीपी)	26701718	261093 95	9717873412	amitjha@ndma.gov.in
श्री पी के त्रिपाठी, सलाहकार एवं जेएस (मिटीगेशन)	26701816			pktripathi@ndma.gov.in
सुजाता सौनिक, सं.सचिव (एडमिन)	26701817			jsadm@ndma.gov.in
श्री सुनील कोहली, एफए	26701709	261332 97	9868151472	skkohli@ndma.gov.in
सी.वी. शंकर, परियोजना सलाहकार	26701866			cvsankar@ndma.gov.in
एस.एस. यादव, निदेशक (एम)	26701886			ssyadav@ndma.gov.in
कर्नल बृज भूषण सिंह, जेए (सू.प्रौ. एवं संचार)	26701742			jtacomn@ndma.gov.in
कर्नल शशि भूषण, जेए (ओपीएस)	26701815			shashi@ndma.gov.in
प्रीती बंजल, निदेशक (एफ)	26701823			preeti@ndma.gov.in
मधुलिका गुप्ता, निदेशक एवं संयुक्त सलाहकार	26701791			madhulika@ndma.gov.in
राजेश कुमार सिंह, डीएस (सीबीटी)	26701733			rksingh@ndma.gov.in
नियंत्रण कक्ष	26701728		9868891803	info@ndma.gov.in

अनुलग्नक : 17

ग्रंथ-सूची

- | | |
|---|--|
| 2. प्राकृतिक आपदा शमन एवं बचाव हेतु संसाधन सामग्री नमूना | एनडीएमडी
गृह मंत्रालय
भारत सरकार |
| 2. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी प्राकृतिक आपदा की आकस्मिक कार्य योजना सहित चक्रवात पूर्व तैयारी एवं आपदा बचाव कार्य हेतु सामग्री । | राहत निदेशक का कार्यालय,
राजस्व विभाग, गुजरात सरकार, 1995 |
| 3. सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान | गुजरात सरकार |
| 4. प्राकृतिक आपदा हेतु आकस्मिक कार्य योजना | कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहयोग विभाग,
एस.आर. प्रभाग दिसंबर -1993 |
| 5. भूकंप आपदा शमन पर प्रशिक्षण कार्यशाला | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र ,
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली |
| 6. बाढ़ एवं भूस्खलन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र ,
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली |
| 7. पूर्व चक्रवात अभ्यास | भारत सरकार, मौसम विज्ञान, पुणे |
| 8. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन स्वास्थ्य पुस्तिका (गुजरात राज्य) | राष्ट्रीय जिला प्रबंधन प्रकोष्ठ
सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान,
इसरो के सामने, सेटेलाइट रोड,
अहमदाबाद |
| 9. प्राकृतिक आपदा में कमी हेतु अनिवार्य | राष्ट्रीय जिला प्रबंधन सेल,
सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान, इसरो
के सामने, सेटेलाइट रोड, अहमदाबाद |
| 10. बाढ़ की स्थिति में चिकित्सा राहत (आकस्मिक योजना)
आपदा प्रबंधन चक्रवात, आपदा शमन,
परिवहन खतरा हेतु बचाव कार्य
(विशाखापत्तनम मोक ड्रिल) | राष्ट्रीय जिला प्रबंधन प्रकोष्ठ
सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान, इसरो
के सामने, सेटेलाइट रोड, अहमदाबाद |
| 11. चक्रवात के खतरे | मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक
का कार्यालय |